कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी. जे. थॉमस की केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति अवैध घोषित।

सीवीसी
पी.जे. थॉमस की नियुक्ति अवैध..... 6
श्री अरूण जेटली..... 7

आम बजट : २०११-१२
न दिशा, न दृष्टि, न ही विवेकपूर्ण..... 11

संसद में बहस

जेपीसी
श्रीमती सुषमा स्वराज..... 13
श्री अरुण जेटली..... 15

राष्ट्रपति अभिभाषण
श्री अरुण जेटली..... 17
श्री राजनाथ सिंह..... 19

रेल बजट
श्री एम. वेंकैया नायडू..... 22

लेख
निर्वाचन आयोग के चयन में विपक्ष को भी सहभागी बनाया जाए
& ykyÑ".k vkMok.kh..... 24
तीन सौ लाख करोड़ काला धन कभी वापिस नहीं आयेगा यदि...
& 'kkUrk dekj..... 25

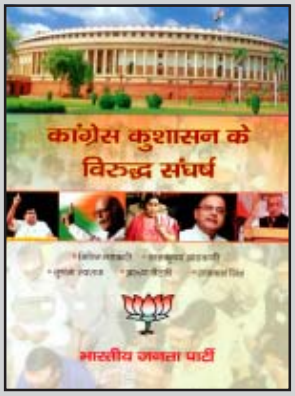

नवीन प्रकाशन

विक्रय केन्द्र

Hkkt ik dUæh; dk;kZy;] 11] v'kksd jkM] ubZ fnYyh&110001] Qksu % 011&23005700

संपादक के नाम पत्र...

Hkkt ik Nk;k ef=e.My dk xBu djs

मेरी सलाह है कि भारतीय जनता पार्टी एक छाया मंत्रिमण्डल का गठन करे ताकि सरकार के आन्तरिक कार्यों पर नजर रखी जा सके तथा उसके विवरण प्राप्त कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया सके।

इंग्लैण्ड में ऐसी व्यवस्था के कारण विपक्ष को सरकार के विषय में अनुभव प्राप्त तो होता ही है साथ ही सरकार में आने पर कार्य करने में सुविधा भी होती है।

लक्ष्मी नारायण मोदी
नई दिल्ली

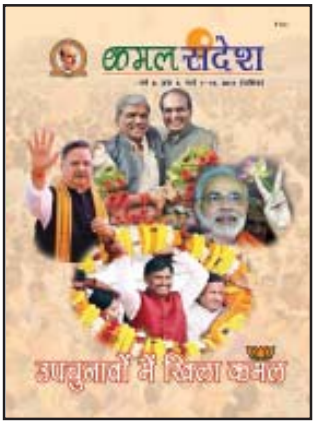

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें..

सम्पादक के नाम पत्र
कमल संदेश
सादर आमंत्रित
आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

सम्पादकीय

ईमानदारी का मुखौटा, बेईमानों को पनाह

भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में एक समय ऐसा था कि जब विपक्ष किसी मसले को गंभीरता से उठाता था तो सत्तापक्ष उसे गंभीरता से लेती थी। विपक्ष भी सदैव राष्ट्रीय पहरेदार के रूप में कार्य करता था। पिछले दो दशक से भारत की राजनीति में एक नया चलन चला कि विपक्ष का आरोप या उसके द्वारा उठाया गया मुद्दा सिर्फ विरोध के लिए विरोध समझा जाने लगा। फलस्वरूप कांग्रेस धीरे–धीरे निरंकुश होती चली गई। कांग्रेस ने विपक्ष की अवहेलना करना शुरू कर दी। लोकतंत्र की परम्परानुसार यदि कांग्रेस विपक्ष के प्रति जागरूक रहती तो सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आयुक्त थॉमस के मामले में ना तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ती न ही केन्द्र सरकार की नादानी या खराब नियत की पोल ही खुलती। सच में बधाई की पात्र है विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और भारतीय जनता पार्टी।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। उसके पहले इस विषय पर जब प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के साथ लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज बैठीं तो उन्होंने न केवल आपत्ति जताई बल्कि उन्होंने अपना ''डीसेन्ट नोट'' लगाया। श्रीमती सुषमा स्वराज का भला थॉमस से क्या लेना–देना। वे तो जो कुछ कह रही थी, वह देश हित में था। लेकिन कांग्रेस कोई पार्टी तो बची नहीं और यूपीए सरकार भी सरकार के रूप में काम भी नहीं कर पा रही क्योंकि यह बात पूरा देश जानता है कि यदि श्रीमती सोनिया जी ने कह दिया तो फिर किसकी हिम्मत जो कुछ कह दे। 'थॉमस' का नाम क्या सोनिया जी ने नहीं दिया था? अगर दिया था तो क्या थॉमस की छानबीन नहीं होनी चाहिए? क्या सोनिया जी किसी का भी नाम दे देंगी तो कांग्रेस या यूपीए सरकार को सहज ही उसे मान लेना चाहिए? यह बात भी सच है कि यूपीए सरकार और कांग्रेस की बहुत बड़ी छिछालेदार हुई है। लेकिन क्या भारत को गहरा धक्का नहीं लगा होगा? भारत के नागरिकों के मन में कांग्रेस और कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के प्रति कोई श्रद्धा बचेगी? क्या जो बातें पूर्व में कही जा रही थीं कि डॉ मनमोहन सिंह रबर स्टाम्प है वह गलत तो नहीं थी? देश हमने किसको सौंप दिया? क्या भारत ऐसे मजबूर प्रधानमंत्री के हाथ में सुरक्षित है? क्या गलती मान लेने से काम चलेगा? सरकार द्वारा जानबूझकर की गई गलती की सजा क्या उसे नहीं मिलनी चाहिए? क्या देश किसी की निजी संपत्ति है? देश में पिछले कुछ वर्षों में जो मामले आए हैं, चाहे वह आदर्श घोटाला मामला हो, या फिर 2जी स्पैक्ट्रम का मामला हो या फिर देवास का मामला हो, या फिर कॉमनवेल्थ घोटाले का मामला हो, क्या यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार 'भ्रष्टाचार' को खुलेआम संरक्षण दे रही है।

दोनों सदनों में 2जी स्पैक्ट्रम के मामले में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को विपक्ष के नाते भाजपा सदैव आगाह करती रही। पर ईमानदारी का मुखौटा लगाए कुर्सी के लिए हजारों बेईमानों को पनाह दे रहे डॉ. मनमोहन सिंह अब नहीं बच सकते। 'हसन अली' पर मेहरबान होना किस बात का संकेत है। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को क्या हसन अली के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? भ्रष्टाचार से सराबोर हो चुकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नीत यूपीए सरकार चाहे कुर्सी पर बनी रहे, परन्तु वह जनता की नजरों से पूरी तरह गिर चुकी है। अब समय आ गया है कि जब विपक्ष देश में घूम–घूम कर आम नागरिकों को बताएं कि देश असुरक्षित है और यदि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार का मुंह काला नहीं किया तो भारत 'इक्कीसवीं सदी' में सर्वोच्च तो नहीं, हां, घोटालों में जरूर 'सर्वोच्च' हो जाएगा। एक नौकरशाह थॉमस का पूरी सराकर को चुनौती देना स्वयं जाहिर करता है कि उसके पीछे सोनिया जी कितनी ताकत के साथ खड़ी हैं।

देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। हम सभी जिम्मेदार नागरिक हैं, अतः हमें आगे आना होगा और ऐसे घोटालेबाज कांग्रेस नीत सरकार से देश को मुक्ति दिलाने के यज्ञ में अपनी आहूति देनी होगी। ■

प्रधानमंत्री की उच्चाधिकार समिति को कड़ी फटकार
सीवीसी के रूप में पी.जे. थॉमस की नियुक्ति अवैध

3 मार्च को घोटालों से घिरी कांग्रेस और केन्द्रीय यूपीए सरकार को गहरा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी पद पर श्री पी.जे. थॉमस की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी उच्चाधिकार समिति को थॉमस के आपराधिक मामलों में फंसे होने के कारण इस समिति को फटकारा गया। सीवीसी नियुक्ति के लिए कसौटी यही है कि ऐसा उम्मीदवार 'इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी' (अर्थात् पूर्ण ईमानदार) और निजी तौर पर भी ईमानदार हो, कोर्ट ने एचपीसी द्वारा थॉमस की नियुक्ति को 'संगत सामग्री' की उपेक्षा करते हुए मनमाने ढंग के आधार पर भी फटकारा।

चीफ जस्टिस एस.एच. कपाडिया की अध्यक्षता वाली न्यायालय पीठ ने थॉमस और सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि सीवीसी की नियुक्ति पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है और कहा कि न्यायालय निश्चित ही सिफारिश की वैधता पर विचार कर सकता है।

1973 के बैच के आईएएस अधिकारी थॉमस को 7 सितम्बर 2010 को सीवीसी पद पर नियुक्त किया था, जब कि लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने एचपीसी को अपना 'विसम्मति नोट' दिया था क्योंकि वह केरल न्यायालय में पामोलिन आयात घोटाले में एक भ्रष्टाचार मामले में फंसे थे जिससे राज्य को दो करोड़ रूपए का घाटा उठाना पड़ा था।

जस्टिस कपाड़िया द्वारा लिखित 71 पृष्ठों के निर्णय में कहा गया है कि न केवल भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ मामला लम्बित है बल्कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की टिप्पणी भी है कि 2000–2004 के बीच उनके खिलाफ ''पेनेल्टी प्रोसीडिंग की बार–बार सिफारिश की गई है।

पीठ में शामिल जस्टिस के एस राधाकृष्णन और स्वतंत्र कुमार ने कहा कि सीवीसी की 'इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी' एक प्रमुख बात है जिसे एचपीसी ने सीवीसी पद पर थॉमस के नियुक्त करते हुए उपेक्षित किया। हम उम्मीदवार की निजी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहते। परन्तु हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं कि सीवीसी जैसे पद पर 'इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी' को उम्मीदवार के नाम की सिफारिश करते हुए ध्यान में रखना जरूरी है। क्या उम्मीदवार (थॉमस) अपना कार्य कर सकेगा या नहीं? क्या इससे इंस्टीट्यूशन के काम को नुकसान होगा या नहीं? यदि ऐसा होता है तो एचपीसी का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्ति की सिफारिश न करे।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, सीवीसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और एचपीसी ने पैनल द्वारा दिए गए नामों के बायोडाटा पर पूरा जोर दिया है। इनमें से किसी भी अथारिटी ने सीवीसी के इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के बड़े दायरे पर नजर नहीं डाली जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्षमता और कामकाज की बात शामिल है।

एचपीसी में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पी चिदम्बरम के साथ विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दर्ज कराई गई 'विसम्मति नोट' के प्रसंग में कोर्ट ने कहा कि यदि एचपीसी में किसी ने विसम्मति नोट दिया है तो इसमें उसे पर्याप्त कारण देने चाहिए और बहुमत को उस पर विचार करना चाहिए। यह थी कि बहुमत को अपने निर्णय के बारे में कारण देने चाहिए जिससे सार्वजनिक हित में पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित हो और लोगों में भी भरोसा पैदा हो।

कोर्ट ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बने पैनल की आलोचना करते हुए कहा कि इस पैनल ने थॉमस के बायोडाटा पर विचार करने के बाद निर्णय लिया परन्तु इसके ऊपर कुछ नहीं देख पाए कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लम्बित है।

इसके अलावा भी यह देखकर हैरानी होती है कि 2000 और 2004 के बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 26 जून 2000, 18 जून 2001, 20 जून 2003, 24 फरवरी 2004, 18 अक्टूबर 2004 और 2 नवम्बर 2004 की नोटिंग है जिसमें कहा गया है कि थॉमस के खिलाफ ''पैनेल्टी प्रोसीडिंग'' शुरू की जाए।■

दागी व्यक्ति को सीवीसी बनाने के लिए उत्तरदायी कौन : अरुण जेटली

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली द्वारा सीवीसी की नियुक्ति के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री से 8 मार्च, 2011 को मांगे गये स्पष्टीकरण

मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के लिये उनका आभारी हूं। मुख्य सतर्कता आयुक्त देश का प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी है। सीवीसी भारत की ईमानदार संस्था है। सीबीआई के वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति में इसकी प्रमुख भूमिका होती है; यह सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच के प्रति निष्ठा और व्यवसायिक मानकों पर निगरानी रखता है।

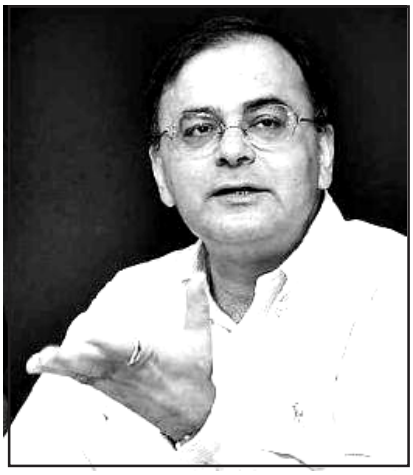

ऐसा महसूस किया जाता है कि राजनीतिक एजेन्डा जांच एजेन्डे पर भारी पड़ता है। इसी कारण सीवीसी की संस्थागत ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

इस ईमानदारी को बनाये रखने और यह सुनिश्चित करने, कि इस प्रकार की गलतियां भविष्य में दोबारा न हो, के आशय से मैं कुछ स्पष्टीकरणों की मांग कर रहा हूँ।

1. 3 सितम्बर, 2010 को जब उच्चशक्ति प्राप्त समिति की बैठक हुई थी, तो क्या प्रधानमंत्री को यह पता था कि उस उम्मीदवार के खिलाफ एक चार्जशीट लम्बित है, जिसका चयन सरकार करना चाहती है।
2. तीन उम्मीदवारों की सूची किसने तैयार की थी, जिसमें इस उच्च पद पर नियुक्ति के लिये एक आरोपी व्यक्ति का नाम शामिल था? क्या यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार की गई थी? अथवा क्या यह सूची कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर तैयार की थी?
3. जब लोकसभा में विपक्ष की नेता ने बैठक में सरकार के ध्यान में यह बात लाई थी कि इस अधिकारी का नाम उसके विरूद्ध लम्बित एक चार्ज शीट के कारण सूची से निकाल दिया जाये और अन्य दो उम्मीदवारों में से किसी एक को नियुक्त कर दिया जाये, तो उस समय सरकार ने श्री पी. जे. थामस की नियुक्ति के लिये जिद्द क्यों की? सरकार इस बात पर क्यों अड़ी रही कि केवल श्री थामस को ही इस पद पर नियुक्त किया जाये और अन्य दो उम्मीदवारों में से किसी को भी नहीं हालांकि उनका रिकार्ड साफ–सुधरा था? क्या किसी विषय पर उन हालात में दो प्रकार के विचार होना सम्भव है, जब एक आरोपी अधिकारी और साफ–सुधरे रिकार्ड वाले अधिकारियों के बीच किसी एक का चुनाव करना हो?
4. क्या सरकार इस सदन को यह आश्वासन देगी कि न केवल सीवीसी के मामले मे अपितु अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के मामले में भी संस्थागत गरिमा को और अधिक बढ़ाने के सिद्धान्त का अब पूरा–पूरा ध्यान रखा जायेगा और सरकार तदनु रूप कार्य करेगी?
5. चूकि प्रधानमंत्री ने गरिमापूर्ण ढंग से गलती स्वीकार कर ली है, अतः क्या वह अब इस बात को महसूस करेंगे कि उत्तर–दायित्व और जबावदेही दोनों साथ–साथ चलते है? क्या अब प्रधानमंत्री सरकार के अन्दर जबावदेही निर्धारित करेंगे कि इस उच्च पद पर एक आरोपी व्यक्ति के नाम के अनुशंसा करने के लिए कौन उत्तरदायी है?■

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सीवीसी पद की गरिमा बहाल हुई : रविशंकर प्रसाद

सुप्रीम कोर्ट निर्णय से सीवीसी पद की गरिमा बहाल हुई है और कानून के नियम तथा लोकतांत्रिक औचित्य की स्थापना हुई। सीवीसी पद की नियुक्ति में विशेष रूप से ईमानदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि सीवीसी एक ऐसा सबसे बडा महत्वपूर्ण इंस्टीटयूशन है जिसे भ्रष्टाचार के मामले मे पूछताछ और नजर रखने का काम करना होता है।

सभी को मालुम है कि इसकी चयन समिति में प्रधानमंत्री गृहमंत्री और लोकसभा में विपक्ष की नेता शामिल होती हैं। अब यह भी सभी जानते है कि जब भी पी जे थॉमस के नाम का प्रस्ताव सीवीसी पद के लिए किया तो श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि उनके प्रति भ्रष्टाचार संबंधी आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित था। उनकी बात को यह कह कर गृहमंत्री श्री चिदंबरम ने नकार दिया कि श्री थॉमस उस मामले से दोषरहित हो चुके हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज ने फिर भी कहा कि इस तथ्य का सत्यापन करा लिया जाए और निर्णय एक दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि सरकार चाहे कि पैनल में अन्य दो में से किसी एक को सीधे नियुक्त किया जा सकता है जिसमें श्री थॉमस शामिल नहीं रहेंगे ।

यह सचमुच विचित्र बात ही है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने ही इसी बात पर जोर दिया कि नियुक्ति तो आज ही के दिन की जाएगी और यह केवल श्री पी जे थॉमस ही होंगे। अब

भाजपा महासचिव और मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 3मार्च 2011को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीवीसी नियुक्ति को खारिज करने संबंधी निर्णय पर जारी प्रेस वक्तव्य

सुपीमकोर्ट ने इस मनमानी की नियुक्ति खारिज कर दी और कहा कि श्री थॉमस के बारे में सभी तथ्य पहले से प्रस्तुत नही किये गये। अतः उन्हें बिल्कुल भी इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

इन सब बातों को देखते हुए स्पष्ट है कि सरकार उनकी नियुक्ति के दागी रिकार्ड को जानती थी और यह भी जानती थी कि इससे विवाद पैदा होगा। फिर भी,उसने उन्हें ही नियुक्त करने की ठान रखी थी। स्पष्ट है कि इस दृढ निश्चय के पीछे कोई न कोई मंशा थी। आसपास का वातावरण भी संदेह पैदा करता है।

श्री थॉमस पहले टेलीकॉम सेक्रेटरी थे और उस पद पर रहते हुए उन्होंने राय मांगी थी कि सीएजी 2जी स्पैक्ट्रम मामले की जांच नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह तो नीतिगत मामला है। सीएजी की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है,वह भी सभी को मालूम है। स्पष्ट है सरकार एक दब्बू किस्म के व्यक्ति को नियुक्त करना चाहती थी क्योंकि 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले पर एक निर्णय पर उनका प्रभाव रहता है और वे उसकी मानिटरिंग करते हैं। वस्तुतः सीवीसी तो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन करता है।

इस सरकार ने सीवीसी की नियुक्तिं प्रधानमंत्री की सीधी भूमिका थी। देश को यह जानने का हक है कि इसके पीछे कौन–सी गठबंधन की मजबूरी थी कि श्री पी जे थॉमस को ही नियुक्त किया जाए। प्रधानमंत्री को अपनी अन्तरात्मा से जवाब देना चाहिए कि उन्हें गुमराह किया गया या वे स्वंय जानबूझकर गुमराह हुए। जो भी हो जवाबदेही का निर्धारण करना ही होगा। यह भी साफ है कि यह बात नैतिक जिम्मेदारी और पूरी सरकार की जिम्मेदारी की है जिसमें यूपीए चेयरपर्सन भी शामिल हैं।हम प्रधानमंत्री के जवाब की प्रतीक्षा में है।

डॉ. मनमोहन सिंह प्रायः कहा करते हैं कि आदमी को शक से उपर रहना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की नियुक्ति रद्द कर दी है और वह भी इस आधार पर कि भ्रष्टाचार के मामले में थॉमस को नियुक्त करते हुए उनके शामिल होने की सूचना की उपेक्षा की गई तो देश को यह जानने का निश्चित हक है कि प्रधानमंत्री अपने को किस कसौटी पर रखकर अपने बारे में निर्णय लेंगे। आज भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्र की महत्वाकांक्षा पूरी हुई है और सरकार की भद्द पिटी है।■

भ्रष्टाचार सड़े हुए प्रणाली की उपज है : गडकरी

& laoknnkrk }kjk

Hkk रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी भ्रष्टाचार को सड़े हुए प्रणाली की उपज बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक प्रणाली हम लोगों ने इंग्लैण्ड और अमरीका से उधार लिए है।

उक्त बातें श्री गडकरी ने दिल्ली विश्वविघालय के विधि संकाय द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कही। यहां वह 'भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर' विषय पर बोल रहे थे। उनके वक्तव्य को हजारों छात्र एकाग्र होकर सुन रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुझे यहां अपने विघार्थी जीवन की याद आ गयी। मैं यहां तक एक सफल विघार्थी जीवन के राजनैतिक करियर के बाद पहुंचा हूं। मैं जानता हूं हमारे देश के युवा ज्ञानवान हैं जो देश में सुधार और परिवर्तन ला सकते है।आप हमारे देश के भविष्य हैं। ज्ञान शक्ति होती है जो देश निर्माण में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार होना चाहिए ताकि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरें। देश का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करता है कि हम किस तरह की शिक्षा और संस्कार लोगों को दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं एक विधि स्नातक और एमबीए हूं।लेकिन मैंने सीविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया। मैं इंजीनियर नही हूं, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे अधिक कंक्रीट ब्रिज बनवाने के लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास सही दृष्टिकोण और मजबूत इच्छाशक्ति हो तो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं।

जब कोई इच्छा नहीं होती तब केवल सेमिनार, सर्वे और बातचीत होती है। मजबूत इच्छाशक्ति निर्णय प्रक्रिया को बल देती है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर बन चुका है। यह सामाजिक समस्या है। यदि लोग ईमानदार हैं तो कैसे उनके द्वारा बेइमान नेता चुना जाता है। राजनीतिक पार्टियों को अपने नेताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस प्लेटफार्म को राजनीति के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता हुं। क्योंकि मैं यहां राष्ट्रहित की बात करना चाहता हूं। यदि विद्यार्थी देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इच्छा होनी चाहिए।

आप राजनीति में आइए लेकिन राजनीतिक इच्छा के साथ। युवाओं को उत्साहित करना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए लेकिन उन्हें पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त पैसा कमाना चाहिए तब राजनीति में आना चाहिए। यदि ऐसा नही करेंगें तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए गलत

तरीके से पैसा कमाना पडेगा।

उन्होंने कहा मैं जो कार इस्तेमाल करता हूं वह पार्टी की नहीं है। यह मेरी कंपनी की है। इसलिए कोई मुझे फंसा नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने कैरियर पर ध्यान दें फिर राजनीति में आएं।

उन्होंने कहा नेता हमारे ही बीच से आते हैं,वे समाज के उत्पाद होते हैं। तो अच्छे या खराब नेता के लिए कौन उतरदायी है। परिवार, विश्वविघालय, राजनीतिक पार्टी और प्रशासनिक प्रणाली भी इसके लिए उत्तरदायी है। अच्छे नागरिक का निर्माण भ्रष्टाचार का इलाज है।भ्रष्टाचार को तभी मिटाया जा सकता है जब इसके विरूद्ध जनता में आक्रोश हो।

यह सारे उपाय करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं।ऐसे उपायों में आरटीआई सूचना का अधिकार अच्छा उदाहरण है।

श्री गडकरी ने कहा कि व्यक्ति का बनना प्राकृतिक नहीं है। हमारे बनने और बिगडने में शिक्षा की अहम भूमिका है।हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार जरूरी है।भ्रष्टाचार इस प्रणाली की उपज है।यह एक सामाजिक समस्या है इसे साफ करना जरूरी है।इसे साफ करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत है।

यदि हमारे प्रधानमंत्री सीवीसी की नियुक्ति पर सुषमा जी की बात को सुनें होते तो इस तरह उन्हें शर्मिंदा नही होना पडता।

श्री गडकरी दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा आमंत्रित किए गए थे इस मौके पर उन्होने संकाय के वार्षिक उत्सव का भी उदघाटन किया।

भाजपा के लोकसभा सदस्य श्री जे एस बुंदेला और भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह भी मंच पर उपस्थित थे। ■

लोकायुक्त को मजबूत करें : गडकरी

& lokn nkrk }kjk

Hkk जपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने भाजपा शासित राज्यों के लिए एक महत्वाकांक्षी न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य परिणामोन्मुखी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना करना है।

1 मार्च को श्री गडकरी ने कहा कि हम बेहतर प्रशासन, भ्रष्टाचार–मुक्त शासन और लोकायुक्त संस्था कायम करने के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। भाजपा–शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही इस दिशा में उपाय शुरू कर दिए हैं परन्तु हम अपनी कार्य योजना को और तेज करना चाहेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गडकरी का प्रस्ताव है कि भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए नया कानून बनाया जाए जो समयबद्ध रूप से मामलों का निपटारा करे।

उन्होंने कहा कि एक बार आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिकारियों की सम्पत्ति को जब्त करने का अधिकार मिल जाए।

उन्होंने भ्रष्टाचार और टेण्डर जारी करने की प्रक्रिया की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि हाल के घोटालों में देश को हिला कर रख दिया है। हमने देखा कि टेण्डर प्रक्रिया का दुरूपयोग धोखाधड़ी से होता है जिससे बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाया जाता है। ई–टेण्डर से अधिक पारदर्शिता आएगी।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी लोकायुक्त को मजबूत किया जाना चाहिए। जिन लोगों को इन पदों पर रखा जाए उन्हें राजनीतिज्ञों या नौकरशाहों की जांच करने का अधिकार मिलना चाहिए। उनकी सहायता के लिए अपर पुलिस महानिदेशक की सहायता मिलनी चाहिए। जांचकर्ता को स्वतंत्र जांच करने का अधिकार होना चाहिए।

श्री गडकरी ने यह भी महसूस किया कि कैबिनेट मंत्री और विधायकों को अपनी सम्पत्ति और देवताओं का वार्षिक ब्यौरा देना चाहिए।■

न दिशा, न दृष्टि, न ही विवेकपूर्ण : भाजपा

केन्द्रीय सरकार का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री ने 28 फरवरी को पेश किया जो दृष्टिविहीन दस्तावेज़ बनकर रह गया है। इसमें कहीं कोई ऐसा विचार नहीं है जिससे बजट को मार्गदर्शन मिले या वर्तमान समय में किसी उददेश्य की पूर्ति हो सके । यह एक ऐसा कल्पनाहीन बजट है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खडी चुनौतियों का जरा– सा भी संबंध नहीं । वित्त मंत्री ने मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार को बढाकर विभिन्न योजनाओं /विभागों की आवंटन राशि बढाने का काम किया है।

भारत की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बडी गंभीर चुनौती मुद्रास्फीति की है। खाद्य कीमतों की बढोतरी ने आम आदमी की जान निकाल कर रख दी है। रुटीन ढंग से ब्याज दरों को बढाकर और मुद्रा आपूर्ति को घटाने की मौद्रिक कोशिश की गई। जिससे पता चलता है कि सरकार के पास इस मुददें से निपटने का कोई समाधान नहीं है।

बजट से रोजगार बढाने में कोई प्रोत्साहन नही मिलता है। यह तो एक ऐसा क्रूर बजट है जिसमें भारत की जनता के स्वास्थ्य संबंधी खर्च को बढाकर आम आदमी को बेहाल कर दिया है। जैसे कि अमीर लोग ही इलाज करा पाएं । देखें तो सरकारी अस्पतालों में जरूरत से ज्यादा भीड रहती है। और वहां की सुविधाएं भी अपर्याप्त होती है। निजी अस्पतालों पर कर थोंपना आपत्तिजनक है। मध्यमवर्ग वेतनभोगी वर्ग और अन्य लोगों के लिए यह बजट जरा सा भी लाभकारी नहीं है।

बजट से आशा थी कि यह काले धन की बुराई का समाधान करेगा जिसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया है। जिन कारणों से अपार काला धन पैदा होता है उसके लिए ठोस उपाय करना आवश्यक है। किन्तु वित्त मंत्री ने इस समस्या की बेहद उपेक्षा किया है जबकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें ही खाती जा रही है। ■

केन्द्रीय बजट २०११-१२ पर प्रतिक्रिया केन्द्रीय बजट-एक दिशाहीन बजट : गडकरी

Hkkजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने केन्द्रीय बजट को दिशाहीन बताकर गहरी निराशा प्रगट की है जिसने आम आदमी को सभी आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों से कोई राहत प्रदान नहीं की है। रोजगार पैदा करने के लिए किसी प्रकार के ठोस और कारगर नीति न बनाकर वित्तमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने का काम छोड़ दिया है और यूपीए सरकार के कुशासन और उसकी गलत आर्थिक नीतियों से पैदा संकट से छुटकारा पाने का अपराध किया है। बजट में अपार भ्रष्टाचार और कालेधन के खतरे पर मौन साध रखा है। निजी आयकर की राहत की मात्र दिखावा बनकर रह गई है और काम करने वाली महिलाओं की हालत तो पहले से भी खराब हो गई है। बजट व्यापार और उद्योगों के लिए अवास्तविक है तथा किसानों, बेरोजगार युवाओं तथा अल्पविकसित राज्यों के लिए एकदम संवेदनहीन है।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

केन्द्रीय बजट दृष्टिविहीन दस्तावेज है। वित्त मंत्री ने अलग–अलग विभागों/योजनाओं में मामूली सा आवंटन बढ़ा कर भारतीय अर्थव्यवस्था का नाममात्र का विस्तार किया है।

श्री बी.एस. येदियुरप्पा, मुख्यमंत्री कर्नाटक

कृषि मंत्रालय योजना बजट 2010–11 के संशोधित अनुमान की तुलना में घटकर 3 प्रतिशत हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य सब्सिडी में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और यह भी मालूम नहीं है कि खाद्य 'एंटाटलमेंट सब्सिडी' को किस तरह से पूरा किया जाएगा।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार

बिहार को फिर एक बार उपेक्षित किया गया है जब कि यह भारत में निर्धनतम राज्यों में से एक राज्य है। वित्त मंत्री ने खाद्य सुरक्षा बिल पर भी कुछ नहीं किया है जो गरीबों के लिए नितांत आवश्यक था। आयकर की छूट में भी केवल उन्हीं लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा जिनकी आय 3 लाख से अधिक होगी।

कांग्रेस काला धन देश में लाने के लिए कानून संशोधन नहीं चाहती : नितिन गडकरी

& loknnkrk }kjk

Hkk रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस विदेशों में काले धन को देश में लाने के लिए कानून में परिर्वतन करने की इच्छुक नहीं है। और कांग्रेस और डीएमके ने 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकारी धन राशि को लूटने का गहन षडयंत्र रचा है।

26 मई 2011 को पुडुचेरी की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फिलीपिंस जैसे छोटे देशों ने भी काले धन को अपने देश में लाने के लिए कानूनों में संशोधन किया है। और देश के लिए इस्तेमाल किया परंतु भारत ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया । यदि पूरा काला धन देश में वापस आ जाए और वितरित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो लाख रुपये मिल जाए। विदेशों में जमा काला धन देश में लाने के लिए कांग्रेस कानून –संशोधन नहीं करना चाहती। तमिलनाडु में मछुआरों की बदहाली पर केन्द्र तथा डीएमके सरकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जो मछुआरों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हैं भला वे कैसे देश की रक्षा कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि 2014 में भाजपा सत्ता में आती है तो हमारा पहला काम काले धन को देश में लाना होगा और हम इसका इस्तेमाल पेय जल योजना नदियों को आपस में जोड़ना और रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में जनता के पैसे की अनदेखी करने की साजिश की और यह पार्टियां केवल अपने परिवारों के हितों को देखती रहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम आदमी का नारा तो देती है परन्तु राष्ट्र के सामने खडी चुनौतियों का समाधान करने में असफल रहती है। कांग्रेस और डीएमके में पारिवारिक शासन चल रहा है और साथ ही यह भी कहा कि डीएमके एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता था परन्तु पार्टी के प्रति समर्पित और कठोर परिश्रम से अध्यक्ष पद तक पहुंचा हूं।■

महिला दिवस पर छात्रा की नृशंस हत्या

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस्तीफा दें : स्मृति ईरानी

& loknnkrk }kjk

महिला दिवस का शताब्दी वर्ष देश की राजधानी दिल्ली के लिए शर्मनाक घटनाओं का जश्न बन गया है जिसे स्वंय दिल्ली की मुख्यमंत्री ने माना है कि दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित है, जिससे न केवल दिल्ली की बल्कि कांग्रेस सरकार की लाचारी और उसकी अक्षमता प्रकट होती है।इसे देखते हुए ही भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती स्मृति ईरानी का दिल्ली की मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि दुःख तो इस बात का है कि भारत की राजधानी में जिस युपीए सरकार का शासन है और जिसके हाथों में पुलिस का कार्यभार भी है,वहां महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या जैसी घृणित घटनाएं होती हैं और दिल्ली की कांग्रेसी सरकार तथा केन्द्रीय यूपीए सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। फिर भी,दिल्ली को असुरक्षित मानने वाली शीला दीक्षित को राजधानी को अपराधी दिल्ली कहने पर आपत्ति है।क्या उनकी यह दोमुंही नीति हैरानी में डालने वाली नहीं है?

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्मृति ईरानी ने अपने बयान में कहा कि यूपीए सरकार की पोलपट्टी इस बात से भी खुल जाती है कि वह महिलाओं के आर्मी में अस्थायी आयोग खोलने का जोरदार विरोध कर रही हैं। अभी तक भी महिला आरक्षण बिल भी दूर का स्वप्न ही बना हुआ है। यह सब कुछ यूपीए सरकार की निष्क्रियता और राजनैतिक रूप से पहल के अभाव का नतीजा है। ■

कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को करप्शन मैक्सिमम प्रोग्राम न बनाएं : सुषमा स्वराज

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा जेपीसी पर दिए गए भाषण का संपादित अंश

यह सभा आज पहली बार जेपीसी का गठन नहीं कर रही है। आज से पहले चार बार जेपीसी का गठन हो चुका है। जब भी भ्रष्टाचार का कोई बड़ा कांड देश में उजागर हुआ, उस समय के प्रतिपक्ष दल ने जेपीसी की मांग की और उस समय की सरकार ने जेपीसी को स्वीकार किया। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई, जब इस बार जेपीसी की मांग की गई तो नेता सदन ने हमारी मांग को अतार्किक कहकर, हमें माओवादी संगठन में शामिल होने की नसीहत दी। माओवादी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। वे बंदूक से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या हमारी जेपीसी की मांग हिंसक मांग है? जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में थी उस समय जब कांग्रेस ने जेपीसी की मांग को लेकर के सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी तो क्या वह उसका माओवादी व्यवहार था। उस समय सभा की कार्यवाही कई दिनों तक स्थगित करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप लगभग 77 घंटे का नुकसान हुआ। जब हम सरकार में थे और मैं स्वास्थ्य मंत्री थी, उस समय मैंने पेप्सी कोला में कीटनाशक मिलने के ऊपर सभा में वक्तव्य दिया था। वक्तव्य के बाद सदस्यों ने जेपीसी की मांग की। उस समय हमने तुरंत जेपीसी का गठन कर दिया था तथा उसका सभापति विपक्ष का सदस्य बनाया था। प्रतिपक्ष की मांग को मान लेना सरकार की कमजोरी नहीं, बल्कि सरकार की परिपक्वता को दर्शाता है और अगर तुरंत मांग मान ली जाए तो उस परिपक्तवता के साथ गरिमा भी जुड़ जाती है।

प्रतिपक्ष ने जेपीसी की मांग इसलिए की थी क्योंकि भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कांड उजागर हो रहे थे। इस बार तो भ्रष्टाचार के 3–3 कांड एक साथ उभरकर आए। इसमें आरोप विपक्ष ने नहीं लगाए थे। यह आरोप नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने लगाया था। 2जी स्पैक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा हमारा गढ़ा हुआ नहीं है। यह नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के चार फामूर्ले से निकला है। सीडब्ल्यूजी का घोटाला सीएजी की इंटरिम रिपोर्ट से बाहर आया। आदर्श सोसायटी घोटाला महाराष्ट्र के एकाउंटेंट जनरल ने निकाला। वे इसरो–देवास घोटाला भी सीएजी ने निकला है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर आज दूरसंचार मंत्री यह कहते हैं कि उसमें तो जीरो लॉस हुआ है। यदि जीरो लॉस हुआ है तो पूर्व मंत्री जेल के पीछे क्यों बंद है? ऐसा कहकर उन्होंने सीएजी की संस्था पर प्रश्नचिह्न लगाया है। यह जेपीसी बहुत असाधारण परिस्थितियों में बन रही है।

कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने न्यायपालिका की सक्रियता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग जवाबदेही सुनिश्चत करने के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग सरकार के अन्य अंगों को दी गई वैध भूमिका की उपेक्षा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को काम करने दिया है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तीन टिप्पणियां की है। न्यायालय ने प्रधानमंत्री का शपथपत्र मांगा और सीबीआई से कहा कि आरोप पत्र दायर करने की चार्जशीट हमें दिखाओ। यह इसलिए हुआ कि संसद की अनदेखी की गई और सरकार ने जेपीसी का गठन करने के बजाए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई की जांच प्रारम्भ करवाई। सरकार ने पीएसी के साथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगाने और उसका दायरा बढ़ाने की पेशकश की किन्तु जेपीसी के गठन की मांग स्वीकार नहीं की। अब आज जब जेपीसी की मांग स्वीकार की गई तो इसका कारण संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना नहीं अपितु सभा को चलाने के लिए की गई है। न्यायालय की दूसरी प्रतिकूल टिप्पणी

सीवीसी की नियुक्ति पर आई। इस मामले में सरकार ने नेता प्रतिपक्ष संस्था की अनदेखी की। मैंने सिर्फ यह कहा था कि पैनल में से बकाया दो अधिकारियों में से किसी को चुन लो। यदि सरकार ने ऐसा किया होता तो सीवीसी के संदर्भ में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं सुननी पड़ती। तीसरी प्रतिकूल टिप्पणी कालेधन के संदर्भ में आयी। जब न्यायालय ने कहा कि यह केवल कर अपवंचन नहीं है अपितु राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है। इस मामले में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी की अनदेखी की। इसलिए सरकार को इस बात पर आत्मावलोकन करना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी कौन कर रहा है? सरकार अगर संवैधानिक संस्थाओं को काम करने दे तो न्यायपालिका कभी सक्रिय नहीं हो सकती। सरकार के हाथों से पीड़ित लोग जब न्यायपालिका में जाते हैं तब न्यायपालिका सक्रियता दिखाती है। उसके लिए दोषी सरकार और हम लोग हैं जो न्यायपालिका के हाथ में वे चीजें दे देते हैं जो हमें स्वयं को करनी चाहिए।

आज देश में लोकतंत्र के चारों स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस लड़खड़ा रहे हैं। चारों स्तम्भ संदेह के घेरे में हैं। अविश्वास का संकट गहराया हुआ है। राडिया टेप्स ने इस तंत्र का खोखलापन उजागर कर दिया है। उद्योग जगत इस तरह से पूरी व्यवस्था में प्रवेश कर गया है कि मंत्री कौन बने। वे हस्तक्षेप करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए और किस कॉलम में क्या लिखा जाए। कौन सी खबर प्रथम पृष्ठ पर छपे और कौन सी खबर आखिरी पृष्ठ पर छपे। इसलिए जेपीसी की विचारार्थ विषयों के तीसरे बिन्दु का विस्तार किया जाए। केवल दूरसंचार लाइसेंस की प्रक्रिया का नहीं है। पूरी व्यवस्था ढह रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सारे लोग बैठकर एक साथ चिंतन मनन करें कि इस तंत्र को वापिस कैसे खड़ा किया जाए। इस व्यवस्था में आई खामियां कैसे सुधारी जाएं? क्या चैक्स एंड बैलेंसेज नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो कैसे लाए जाएं और अगर हैं और उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है तो उनका कार्यान्वयन कैसे किया जाए? क्योंकि अभी पिछले दिनों जब प्रधान मंत्री जी ने अपने संवाददाता सम्मेलन में एक नया प्रश्न देश के सामने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उनकी गठबंधन धर्म की मजबूरी है। इस देश में गठबंधन युग पन्द्रह वर्ष पहले शुरू हुआ और निकट भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। क्या हम यह मान लें कि गठबंधन की सरकारें भ्रष्ट सरकारें होंगी और भ्रष्टाचार का औचित्य दिखाने के लिए गठबंधन धर्म का सहारा लिया जाएगा? भ्रष्टाचार एक अधर्म है और एक अधर्म को बढ़ावा देने के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया जा सकता। गठबंधन धर्म की मजबूरी राजनीतिक मुद्दों पर हो सकती है लेकिन गठबंधन धर्म का उपयोग बेईमानी को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। गठबंधन सरकार एक सीएमपी बनाती है। उस सीएमपी में कोई मजबूरी हो तो समझ में आती है लेकिन 'कॉमन मिनिमन प्रोग्राम' अगर 'करप्सन मैक्सिमम प्रोग्राम' बन जाए तो देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह जेपीसी गहन चिन्तन के लिए बनी है। यह जेपीसी केवल 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन, प्राइसिंग और पॉलिसी की जांच के लिए बनी है। आप इसके 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस। को व्यापक करके इसको यह काम दीजिए कि देश को कैसे इस परिस्थिति से उबारना है, इसके लिए ठोस चीजें सुझाई जाएं। अगर यह जे॰पी॰सी॰ केवल विभागीय जांच करके उठ जाएगी तो वह अपना काम पूरा नहीं करेगी। हमें व्यवस्था में सुधार के लिए जे॰पी॰सी॰ चाहिए। ■

निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की

1 मार्च को निर्वाचन आयोग ने असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल तथा केन्द्र शासित पुडुचेरी के चुनावों की घोषणा कर दी है।

केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण के चुनाव 13 अप्रैल को होंगे और इनके परिणाम एक महीने बाद 13 मई को घोषित किए जाएंगे।

असम में दो चरणों में चुनाव होगा। 62 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 4 अप्रैल को और बाकी 62 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव 11 अप्रैल को होंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव सबसे लम्बे रहेंगे, जिनमें लगभग एक महीना लग जाएगा और यह छः चरणों में होंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव 18 अप्रैल (64 निर्वाचन क्षेत्र) और इसके बाद 23 अप्रैल को 50 निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होंगे। 27 अप्रैल को अगली तारीख 75 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगी तथा 3 मई को (63 निर्वाचन क्षेत्र) तथा 10 मई को (14 निर्वाचन क्षेत्रों) में चुनाव सम्पन्न होंगे। वोटों की गिनती 13 मई को होगी।■

संसदीय उत्तरादायित्व हमारे देश में सर्वोपरि है : अरूण जेटली

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा 1 मार्च, 2011 को जेपीसी के गठन पर दिए गए भाषण का संपादित अंश

ये संचार मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्र इस मामले की सारी सच्चाई जानना चाहता है। सच्चाई पता लगाने के बहुत से तरीके हैं। संसद नीति निर्माण और क्रियान्वयन के मामलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के उत्तरदायित्व को छोड़ नहीं सकती। हमें इस बारे में गंभीरता से जांच करने की जरूरत है कि हमने कहां गलती की और किस प्रकार के सुधारों की जरूरत है। 2007–08 में जो हुआ वह विश्व के किसी भी देश में हो सकता है। सिब्बल जी ने अपनी तर्कशक्ति की कुशलता का उपयोग करते हुए कहा कि जो कुछ 2003 में हुआ वह गलत था। इससे ऐसा लगता है कि वह किसी तरह 2003 के निर्णय पर उंगली उठाना चाहते हैं। जो कुछ 2007 में हुआ यह उसके लिए सबसे अच्छा बचाव है।

दूरसंचार क्षेत्र भारत में बहुत अधिक सफल हुआ है। कुछ लोग इस सफलता को घोटालों में बदलना चाहते हैं। भारत में दूरसंचार क्रांति की यही पूरी कहानी है। मेरा मानना है कि दूरसंचार क्षेत्र में उदारीकरण का निर्णय एक सही निर्णय था। उस समय प्रतिस्पर्धा का अभाव था। सरकार ने 1993–94 में सार्वजनिक–निजी भागीदारी को अनुमति देने का निर्णय लिया था। दूरसंचार घनत्व में बहुत मामूली वृद्धि हुई। इस नीति के साथ एक दूसरी समस्या थी। प्रत्येक सर्कल में केवल दो सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप अलग तरह की समस्या हुई। सेवा प्रदाता लाइसेंस शुल्क अदा करने में असमर्थ थे। एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी हमारी सरकारी कंपनियां वहां तीसरे सेवा प्रदाता के रूप में थीं। उनकी उपस्थिति पर इस आधार पर आपत्ति की गई थी कि केवल दो सेवा प्रदाता होने चाहिए। इसलिए, अत्याधिक मुकद्दमेबाजी के चलते इस क्षेत्र में उदारीकरण के वांछित लाभ हासिल नहीं हुए। यह संभव है कि किसी के नीति पर अलग विचार हो सकते हैं, परंतु नीति पर अलग विचार होना दुर्भावना से ग्रस्त होना नहीं है। इसलिए हमने पहला निर्णय लिया कि हमने राजस्व बंटवारे की व्यवस्था को अपनाया। एक व्यक्ति जो अपनी टेलीफोन सेवा के लिए भुगतान करता है उस भुगतान का एक छोटा सा हिस्सा देश को जाता है। इससे राजकोष को लाभ होता है। सेवाएं सस्ती हो जाती हैं। परंतु जब सरकार ने यह निर्णय लिया था तो प्रत्येक सर्कल में बहुत से सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। यह सरकार द्वारा लिया गया पहला महत्वपूर्ण निर्णय था। सरकार ने दूसरा निर्णय विविध तकनीकों की अनुमति देने का लिया था। यह व्यवस्था के लिए अच्छा था। सीमित मोबिलिटी की सीमाएं खत्म हो गई थीं। सरकार ने तीसरा निर्णय लिया और इससे एकीकृत लाइसेंस की व्यवस्था अस्तित्व में आई। लाइसेंस पर तकनीक की कोई सीमा नहीं थी। जब यह सब घट रहा था तो टेलीफोन घनत्व में वृद्धि स्वाभाविक थी। इस क्षेत्र में ज्यादा रोजगार पैदा हुए। सेवा की लागत में कमी आई। और सही कानूनी परिवेश यह था कि सरकार भी एक सेवा प्रदाता थी। इसलिए क्षेत्रों से जुड़े विनियामकों की भूमिका सामने आई। दुर्भाग्य से नीति 106 के सभी पहलुओं को स्वयं के फायदे के लिए प्रभावित किया गया। और यह वास्तव में चिंता का विषय है।

संसदीय उत्तरदायित्व इस देश में सर्वोपरि है। संयुक्त संसदीय समिति इन शर्तों के अंतर्गत नीति के विकास और निर्माण की अवश्य ही जांच करेगी। यदि किसी ने विगत में गलतियां की हैं तो सुधार की गुंजाइश होती है। आखिरकार दूरसंचार की सफलता अपने आप में एक कहानी है। कुछ

व्यक्तियों को इस सफलता पर दाग लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप एक दिनांक विशेष निर्धारित करते हैं। उस तारीख को आपको बहुत से आवेदन प्राप्त होते हैं। प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत आप निर्धारित तारीख को बदल देते हैं। निर्धारित तारीख को बदलने का परिणाम यह होता है कि पात्र आवेदकों की संख्या कम हो गयी। इस तरह प्रतिस्पर्धा कम कर दी गयी। इसको आवेदन की तारीख के आधार पर 'पहले आओ पहले पाओ' के मूल आधार पर आवंटित किया जा सकता था। एक दोपहर को आवेदन की तारीख की बजाय, आशयपत्र की शर्तों के अनुपालन की तारीख निर्धारित तारीख बना दी जाती है।

इसलिए, जिन्हें इस बात की जानकारी थी कि क्या हो रहा था वे अपने साथ बैंक ड्राफ्ट लेकर आए और तत्काल ड्राफ्ट जमा कर दिया। 41 मिनट में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसलिए 2001 और 2008 के बीच इस क्षेत्र में सबकुछ बदल गया। यह लाइसेंस बहुत कीमती हो गया। कंपनियों ने यह लाइसेंस हासिल किए और एक तीसरा भागीदार शामिल कर लिया। परंतु एक और भागीदार को शामिल करने के लिए प्रत्येक कंपनी ने कीमत का आकलन बिलियन डॉलर्स में किया। इसलिए रातोंरात यह लाइसेंस और स्पेक्ट्रम हासिल करके कंपनियों को अतिरिक्त कीमत हासिल हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? माननीय प्रधान मंत्री कह रहे थे कि 'ट्राई' की इस बारे में कोई सिफारिश नहीं थी कि आपको इसे बोली के आधार पर ही बेचना है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर ने कहा था कि यह उचित आकलन नहीं है और 2008 में आप इसे 2001 में मौजूद बाजार की कीमतों के आधार पर नहीं बेच सकते हैं। आपको इसे मौजूदा कीमतों पर ही बेचना होगा। इसलिए हर कोई इस प्रक्रिया पर आपत्ति करता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर तर्क यह है कि हमारी प्राथमिकता राजस्व नहीं है, हमारी प्राथमिकता टेलीफोन घनत्व को बढ़ाना है। राष्ट्रीय प्राथमिकता टेलीफोन 107 घनत्व में होनी चाहिए। परंतु टेलीफोन घनत्व और राजस्व वसूली में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। 2007 और 2008 के लक्ष्यों का इस तरह से पक्ष नहीं लिया जा सकता और यह कह कर किया जा रहा है कि यह विश्व में अन्यत्र हुआ है जहाँ कि यही सस्ते में दिया जाता है। मैंने यह बताया था कि 1999 और 2001 में सेक्टर इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा था। हमारी विकास दर धीमी थी। शेष भारत में मोबाइल टेलीफोनी बढ़ रही थी। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, बिहार के भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर वे क्षेत्र थे जहां कि सेवा नहीं दी जा रही थी। प्रधानमंत्री जी के तर्क के अनुसार 'टेलि–डेन्सिटी' अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको इस बात के लिए तत्कालीन मंत्री को बधाई देनी चाहिए थी। इस विशाल घोटाले जो कि 2007–2008 में हुआ, यह फिनलैंड में भी हुआ था। यह सभी मुद्दे हैं, जिन पर कि संयुक्त संसदीय समिति को गौर करेगी। इस सेक्टर में अद्वितीय वृद्धि हुई है और साक्ष्य यह दर्शा रहा है कि शक्तियां कौन–कौन सी थी जिन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति से नीति–निर्माताओं की नियुक्ति और नीति के निर्माण से नीति के कार्यान्वयन तक प्रभावित किया। यह सभी घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक के संबंध में निश्चित रूप से संसदीय जवाबदेही होनी चाहिए और अब निश्चित रूप से संयुक्त संसदीय समिति को इन महत्वपूर्ण घटकों में से प्रत्येक घटक पर गौर करना होगा। ■

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

नक्सलवाद को रोकने के लिए उड़ीसा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता : रुद्रनारायण पाणि

jk ज्यसभा में बोलते हुए उड़ीसा से भाजपा सांसद श्री रुद्र नारायण पाणि ने कहा कि उड़ीसा नक्सलवाद की भयंकर चपेट में है। अपराधी तत्वों ने नक्सलवाद के नाम पर पूरे राज्य को नियंत्रित कर रखा है। यह दुर्भाग्य है कि एक जिला कलेक्टर के बदले में खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। इससे पुलिस बल का मनोबल गिरा है। राजनैतिक कार्यकर्ता की बात तो दूर रही यहां तक कि साधारण गरीब आदिवासी की पुलिस को सूचना देनेवाले के नाम पर नृशंस हत्या की जाती है। क्या उड़ीसा सरकार ने कॉम्बिंग अभियान बंद करने से पहले बीएसएफ या सीआरपीएफ से बात की है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और जिला कलेक्टर के अपहरण की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। भाजपा सांसद श्री रुद्रनारायण पाणि ने राज्यसभा में अपने भाषण में मांग की।■
~~~~~~~~~~

राष्ट्रपति अभिभाषण

कहां गया सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत : अरूण जेटली

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा 22 फरवरी, 2011 को राष्ट्रपति अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए भाषण का संपादित अंश

मैं सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री जनार्दन द्विवेदी द्वारा उपस्थित किए गए प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस सरकार द्वारा तैयार किए गए और राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभषण से मुझे गहरी निराशा हुई है। मुझे इस सरकार की मर्यादा और सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह है। सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ सरकार के बीच विश्वास का अभाव दिखाई देता है। सरकार के प्रमुख की नाक के नीचे पिछले तीन वर्षों से यह सब होता रहा फिर भी वह खामोश क्यों रहे? आपको एक व्यक्ति की मंत्री के रूप में नियुक्ति नहीं करनी चाहिए थी। आपने नीति निर्माण से स्वयं को दूर रखा। आपने उस नीति के कार्यान्वयन और इसके साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से स्वयं को दूर रखा और अंत में यह कह दिया कि वह इतना बड़ा दोषी नहीं है। यह न केवल सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत, अपितु सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी पूर्णतः परित्याग है। यह स्वयं नेतृत्व का भी परित्याग है जिसमें प्रधान मंत्री अपनी सरकार की विकृति से स्वयं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वह इतिहास की सर्वाधिक बेईमान सरकारों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं। खाद्य–स्फीति आसमान छू रही है, मुद्रास्फीति भी आसमान छू रही है और हमें सरकार से केवल कुछ विरले बयान मिलते हैं कि अगले छः महीनों या अगले पांच वर्षों में मुद्रा–स्फीति के आंकड़ों में स्वयं सुधार आ जाएगा। पिछले तीन वर्षों के मुद्रा–स्फीति के आपके आंकड़े – मैं थोक मूल्य– सूचकांक की बात कर रहा हूं – दहाई अंक में हैं। कभी–कभी, उनमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। उपभोक्ता मूल्य– सूचकांक तो और भी ज्यादा है। कभी–कभी आपका खाद्य मूल्य सूचकांक 17 से 18 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।

उदारीकरण के बाद भारत ने बड़ी ख्याति प्राप्त की है। दूरसंचार और राजमार्ग जैसे क्षेत्रों ने बड़ी सफलता हासिल की है। किन्तु हमने देखा कि हमने इसे उन हाथों में सौंप दिया जहाँ सत्यनिष्ठा का अभाव था। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सफलता के बावजूद वास्तव में ही साख को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। मुद्रास्फीति आम आदमी को प्रभावित कर रही है, आप इस पर नियंत्रण नहीं पा सकते और आप 'भारत महान' की बातें कर रहे हैं। वर्ष–दर–वर्ष हम शेष दुनिया को कहते रहे हैं कि भारत में आइये और यहाँ निवेश करिए। इसके लिए यदि हम भारत को एक आकर्षक स्थान बनाते हैं तो निवेश के अपने ही लाभ हैं। इससे आर्थिक गतिविधियां और रोजगार सृजित होंगे। आपको आधारभूत ढांचे के सृजन के लिए और अधिक पैसा मिलेगा। किन्तु यदि भारत एक आकर्षक स्थान नहीं रहता तो उस स्थिति में आप दुनिया को आकर्षित करने में विफल रहेंगे। आपको इस पर गंभीर रूप से आत्म–निरीक्षण करना चाहिए। अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए विशद् गुणवत्ता वाले पत्तनों की आवश्यकता होती है। हमारी अवसंरचना का निर्माण वैसा नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। हमारी मुद्रास्फीति असामान्य रूप से अत्यधिक है। हमारा भ्रष्टाचार सूचकांक भी बहुत अधिक है। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में हमारे दृष्टिकोण समान हैं। हर बार जब मुद्रास्फीति बढ़ती है हम एकमात्र समाधान के रूप में अपने ब्याज दरों में वृद्धि शुरू कर देते हैं, इस हद तक कि भारत में व्यापार करना अप्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा यदि हमने किसी स्तर पर इसमें सुधार नहीं किया। विपक्ष द्वारा शासित सभी राज्यों को केंद्र के विभेदपरक दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है। आपका नजरिया तो किसी भी विकासपरक गतिविधि में भाग न लेने का है क्योंकि राज्य के साथ तो आपको राजनीतिक समस्या है। यदि लोग डॉलर निवेश नहीं करते हैं तो अन्य लोग रूपया का भी निवेश नहीं करेंगे। निवेशकों के पास हमेशा विकल्प होता है। यदि आप इस सरकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन चाहते हैं अथवा आर्थिक कार्य सृजन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। यह वातावरण विभेदपरक नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार से

लागत बढ़ती है और यह निवेश के लिए एक बड़ा निरूत्साहन होता है। लोगों का विश्वास उठने लगेगा। हर जगह फेसबुक अथवा ट्वीटर मत निर्धारण का एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। दूरसंचार विभाग तो एक खास राजनीतिक दल के लिए आरक्षित है। फिर कॉरपोरेट, बिचौलिए, लॉबी वाले सब के सब तदनुसार अपनी नीति बनाते हैं। आप इसे कुछ लोगों को 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति के आधार पर बाजार मूल्य से कम पर दे देते हैं। प्रधान मंत्री ने दूरसंचार मंत्री को आगाह किया था किंतु उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। राज सहायता गुणागुण पर आधारित होना चाहिए। जब खेलों का आयोजन किया जाता है तो खुशी का वातावरण बन जाता है। इतनी अधिक निराशा और उहापोह की छाया में खेलों का आयोजन कभी नहीं किया गया है। जिस प्रकार के लोगों के हाथों में इन खेलों का संचालन सौंपा गया था उन लोगों ने खेलों के आयोजन के इर्द–गिर्द पूरी तरह नकारात्मक हालात उत्पन्न कर दिए। यहां तक कि खेलों के समापन के चार महीने बाद भी हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इन सृजित अवसंरचनाओं का क्या करेंगे। भ्रष्टाचार के अनेकों क्षेत्र हैं। गत वर्ष से केंद्रीय जांच ब्यूरो इन मामलों की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस अधिकारी से महीनों तक पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गई। क्योंकि जिस वक्त इन लोगों से पूछताछ की जाती तो आप किसी युक्तिगत निष्कर्ष तक पहुंच जाते। प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह उसी संबंध में है जो 2010 के पश्चात घटी थी, जब इस संविदा को निरस्त करने का एक प्रस्ताव किया गया था। सही मुद्दा तो यह है कि प्रथम दृष्टया यह संविदा प्रदान कैसे किया गया। हमारा अंतरिक्ष संगठन इस देश का सर्वाधिक सम्मानित संगठनों में से एक है।

जब यह ठेका दिया गया तो क्या हो रहा था? यह विभाग सीधे प्रधान मंत्री कार्यालय के अधीन है। हमारे पास ऊंची गुणवत्ता का स्पेक्ट्रम है। इसकी उपग्रह क्षमता के 90 प्रतिशत भाग, ट्रांसपांडर्स और समतुल्य स्पेक्ट्रम का उपयोग निजी पार्टी द्वारा किया जाएगा। यह निजी पार्टी कौन है? मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह मात्र यह कहकर इस मामले को बंद न करें कि हमने इस सौदे को रद्द करने का निर्णय लिया है। यदि 2जी लाईसेंस आज रद्द किए जाते हैं तो अपराध खत्म नहीं हो जाएगी। केबिनेट ने दिसम्बर, 2005 में इस समझौते को अनुमोदित किया था। इन चीजों को सार्वजनिक क्षेत्र में आना होगा और पर्याप्त उत्तर दिया जाना होगा। भारतीय द्वारा विदेशों में रखे गए काले धन और परिसंपत्तियों का पता लगाने में सक्रिय सरकार का अभाव एक चिंताजनक मुद्दा रहा है। जिन लोगों का धन देश के बाहर है, चाहे वह अपराध से कमाया गया धन है या करवंचन से कमाया गया धन है, उन्हें अभियोजित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उस धन का जिक्र किया गया है जिसमें कुछ कर निर्धारण किया गया है। इसका उस धन से कोई लेना–देना नहीं है, जो स्विस बैंकों में जमा है।

जम्मू और कश्मीर का मामला गंभीर चिंता का विषय रहा है, जोकि भारत की सम्प्रभुत्ता का अतिक्रमण करता है। यदि आप इतिहास के पिछले 64 वर्षों को देखेंगे तो पायेंगे कि पूरे प्रयास राज्य और देश के बीच राजनौतिक और संवौधानिक संबंध को कमजोर करने का रहा है। कृपया आत्मनिरीक्षण कीजिए और देखिए कि क्या यह पूर्ण रूप से एकीकरण की दिशा में है या अलगाववाद की दिशा में है? डा. रंगराजन की अध्यक्षता में दो कार्यकारी समूहों के प्रतिवेदन में एक ही बात दोहरायी गई है। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि वहाँ नौकरियां सृजित की जाती हैं और लोगों की सहायता की जाती है तो यह हमेशा ही स्वागतयोग्य है। हमारा सरकार से यह सुझाव है कि यदि उनके कदम राज्य के लोगों की सहायता करना और राज्य में अंतर क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना है तो कृपया आगे बढ़िए परंतु, ऐसा कोई कदम न उठाइए जो इस राजनौतिक और संवैधानिक संबंध को कमजोर करता हो।

माओवादी समस्या एक ऐसा संग्राम है जहाँ भारत को एकजुट होने की जरूरत है। जहाँ तक इस मुद्दे का संबंध है, केन्द्रीय सरकार को सक्रिय होने की जरूरत है। सरकार का यह दृष्टिकोण कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इस संग्राम को जीतने नहीं देगा। हमारी पार्टी तेलंगाना राज्य की मांग का पुरजोर समर्थन करती है और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वह तत्काल परामर्श की प्रक्रिया को पूरा करे और इस दिशा में आगे बढ़े। हमारे लिए गहरी चिंता का एक विषय यह है कि जिन विभिन्न संस्थानों को लोकतंत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की जरूरत थी, उनकी क्या स्थिति है। यह सरकार केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का दुरुपयोग करती रही है। हमने सरकार को चेतावनी दी है कि वह निर्वाचन आयोग जैसे संस्थानों में पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां न करे। सर्तकता आयुक्त भ्रष्टाचार में दोषी है। ये सभी वे संस्थान हैं जिनके बारे में हमें बहुत सावधान रहना होगा।

इस देश के लोग सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी चाहते हैं। वे पार्टी के अंदर लोकतंत्र चाहते हैं। हमें ढांचागत राजनीतिक दलों की जरूरत है। राजनीतिक लोकतंत्र में परिवारवाद की प्रवृत्ति लोकतंत्र के ताने–बाने को नष्ट कर रही है। सरकार में समानान्तर शक्तियों के केन्द्र नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। उनमें शक्तियां निहित होनी चाहिए, परंतु यहां इस तरह के उदार समर्थन का अभाव है।■

राष्ट्रपति का अभिभाषण

सरकार गठबंधन से बड़े धर्म राष्ट्रधर्म का पालन करे : राजनाथ सिंह

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 22 फरवरी 2011 को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में दिए गए भाषण का संपादित अंश

jk ष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कई सदस्यों ने तेलंगाना राज्य की मांग की। जहां तक तेलंगाना राज्य का प्रश्न है, हमारी पार्टी और एनडीए की भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बराबर इस पक्ष की रही है कि तेलंगाना अलग राज्य बनना चाहिए। तेलंगाना राज्य के गठन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन सरकार उस कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कर रही है। मैं समझता हूं कि इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य को कोई जानकारी नहीं है। संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा कोई एक सत्र बिना कामकाज के पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसा पहली बार पिछले शीतकालीन सत्र में हुआ। विपक्ष की एक छोटी सी मांग थी कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी का गठन किया जाए। सभी लोग जानते हैं कि संसद के सुचारू संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की होती है। हमने कोई गलत मांग नहीं रखी थी। आज ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के गठन की घोषणा कर दी है। मैं प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुत सारे कानूनी फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। लेकिन देश इस समय सुनना नहीं चाहता है बल्कि देखना चाहता है कि इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या प्रभावी और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक संवैधानिक आथॉरिटी है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2जी स्पेक्ट्म के मामले में जो घोटाला हुआ था, उसे उजागर करने का काम उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हो रहे हैं लेकिन सरकार को वे मामले दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, यह बात मुझे समझ में नहीं आती हैं। मैं इस सरकार की भ्रष्टाचार से लड़ने की मंशा के प्रश्न पर सवालिया निशान लगाता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गठबंधन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। जब प्रधानमंत्री जी धन्यवाद प्रस्ताव पर उत्तर देंगे, तब कृपया बताएं कि गठबंधन सरकार की क्या–क्या मजबूरियां होती हैं। क्या मजबूरियों का सहारा लेकर हम इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपने देंगे। इस संबंध में भी हमें विचार करने की जरूरत है। सरकार है तो वह सरकार के तरीके से ही चलनी चाहिए। देश सरकार के माध्यम से सुशासन चाहता है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में काले धन की चर्चा की है। विश्व की जानी मानी संस्था 'ग्लोबल फाइनेंशियल इंट्रीग्रिटी' ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2008 तक भारत का लगभग 640 अरब डॉलर काले धन के रूप में दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में है। उस काले धन को वापस भारत में लाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। यूएन

कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2005 में हो चुका है लेकिन आज तक इस सरकार ने संसद द्वारा इसका अनुसमर्थन कराने का प्रयास नहीं किया है सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि की बाध्यता की बात करती है। यदि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय संधि कर काला धन वापस ले सकते हैं तो भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मैं सरकार से मांग करता हूं कि काले धन पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए।

सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। जब से कांग्रेस नीत, संप्रग सरकार आई है तब से महंगाई के निरंतर बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज भी मुद्रा स्फीति आठ प्रतिशत से ज्यादा है। हम लोगों ने भी छः वर्षों तक इस देश में सरकार चलाई है। हम लोगों ने मुद्रास्फीति दर को 3 से 6 प्रतिशत के बीच लगातार बांधे रखने में सफलता प्राप्त की है। वृद्धि दर को कभी महंगाई के साथ को–रिलेट नहीं किया जा सकता है। यह सरकार महंगाई के कारणों में विश्व आर्थिक मंदी, जीडीपी में वृद्धि आदि गिनाती है। लेकिन महंगाई के तीन कारण सरकार की गलत आर्थिक नीति, गलत आर्थिक नियोजन और भ्रष्टाचार हैं। इसका एक चौथा कारण गठबंधन सरकार की मजबूरियां हैं जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा है। गठबंधन की सरकार चलाने के लिए अधर्म का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। गठबंधन धर्म से बड़ा राष्ट्रधर्म होता है। सरकार को अपने राष्ट्रधर्म का पालन करना चाहिए।

इस सरकार के आने के बाद कृषि क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा हुआ है और गांवों में गरीबों और किसानों की हालत पहले से बदतर हुई है। चावल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है लेकिन ऐसा करते समय सरकार ने हमारे किसानों की उत्पादन लागत में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा है। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक कृषि परिवार की औसत आमदनी वर्ष 2003–04 में 2115 रुपये थी और वर्ष 2011 तक यह बढ़कर केवल 2400 रुपये हुई है। इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान का अधिकतर किसान गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर है। इसलिये कृषि क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। भारतीय खाद्य निगम के भंडार गृहों में अनाज खुले में सड़ रहा है। जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि खुले आसमान के नीचे सड़ रहे गेहूं को गरीबों में मुफ्त बांट दिया जाना चाहिए तो इस सरकार ने कहा कि हम किसी भी सूरत में मुफ्त गेहूं गरीबों के बीच वितरित नहीं कर सकते हैं। इस सरकार के द्वारा विकास का दावा भी किया जा रहा है। एन.डी.ए. सरकार ने यह फैसला किया था कि वर्ष 2005 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का काम हम पूरा कर लेंगे। लेकिन आज तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम फेज़ का भी काम पूरा नहीं हुआ है। जिन परियोजनाओं की डी.पी.आर. वर्ष 2006–2007 में बन चुकी है वे आज तक एवॉर्ड नहीं हो पाई हैं। इसका कारण भूमि अधिग्रहण की समस्या बतायी जाती है। यदि ऐसा है तो भूमि अर्जन संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिए। मनरेगा अपने आपमें एक अच्छी योजना है। लेकिन इसका जिला स्तर पर चार्टर्ड एकाउंटेंटस से ऑडिटिंग करवाई जानी चाहिए तभी जाकर इसकी समुचित ऑडिटिंग और निगरानी हो पायेगी। गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स के बारे में वित्त मंत्री जी ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल, 2011 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम लागू करेगा। इस संबंध में आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए तभी आप इसे लागू कीजिए।

इस कांग्रेस नीत यू.पी.ए. सरकार के शासनकाल में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट भी निरन्तर गहरा हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत दम–खम के साथ यह बात कही थी कि नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनकी ही पार्टी के ही एक जनरल सेक्रेटरी ने होम मिनिस्टर के ऊपर इंटलेक्चुअल एरोगेंस का आरोप मढ़ दिया और उसका विरोध कर डाला। नक्सलवाल से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है? नक्सलवाद के संकट से केवल कठोर कार्रवाई के माध्यम से निपटा नहीं जा सकता बल्कि इसके लिए सामाजिक–आर्थिक प्रयास भी होने चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद की बिल्कुल चर्चा नहीं की गई है। असम के साथ–साथ पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। देश की संप्रभुता तथा स्वाभिमान पर गहरे आघात हो रहे हैं, जम्मू–कश्मीर के कई हिस्सों को चीन के कब्जे में भी दिखाया जाता है लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यदि हमारे कुछ नौजवान गणतंत्र दिवस के अवसर पर कश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जम्मू–कश्मीर के बारे में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार की नीति न केवल भ्रामक है बल्कि सैल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है। अनुच्छेद 370 की समीक्षा करने का समय आ गया है। क्या इससे जम्मू–कश्मीर में गरीबी और बेरोजगारी दूर हुई है? यदि अनुच्छेद 370 से वहां की गरीबी, बेरोजगारी की समस्या दूर हुई है और यदि वहां सुरक्षा का संकट समाप्त

हो गया हो तो अनुच्छेद 370 जारी रहना चाहिए। लेकिन यदि नहीं हुआ है तो अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना चाहिए। वहां सरकार ने कुछ वार्ताकार भेजे हैं। उन्हें लाइव कमैंट्री करने के बजाय अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। जम्मू–कश्मीर से सेना को वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए तथा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को डाईल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। इसका सेना प्रमुख ने भी विरोध किया था। इस सरकार के वोट बैंक की राजनीति को छोड़ना होगा क्योंकि देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। जहां तक देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और सम्प्रभुता का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी और एन॰डी॰ए॰ पूरी तरह से सरकार को समर्थन देने को तैयार है।

हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आतंकवाद किसी मज़हब के द्वारा संचालित होता है। लेकिन इन्होंने 'हिन्दू आतंकवाद' और 'भगवा आतंकवाद' के नाम से एक नई टर्मानॉलाजी का इजाद कर दी है तथा राष्ट्रीयस्वयं सेवक संघ जैसी राष्ट्रवादी संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 26/11 की आतंकवादी वारदात का षड्यंत्र भी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ द्वारा रचा गया है।

सारे फिरके केवल भारत में मिलेंगे। यह जो भारत का चरित्र है वह हिन्दु आइडियोलॉजी के कारण ही है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली गतिविधियों को रोकेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में पाकिस्तान ने क्या प्रोग्रैस की है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। यह हम भी चाहते हैं लेकिन किस कीमत पर बेहतर होने चाहिए। कूटनीतिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल रही है। सरकार को एक कूटनीतिक साहस का परिचय देने की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा।■

सरकार का बजट देश की चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता : राजनाथ सिंह

HKK जपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने केन्द्रीय बजट 2011 के प्रस्तावों को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां पूरी नहीं हो पाएंगी जिसके लिए कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कहीं अधिक आवंटन किए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि किसानों को सस्ती दरों पर ऋण देना आवश्यक है। हालांकि वित्तमंत्री ने किसानों को वर्तमान ब्याज की दरों में 2 प्रतिशत से बढ़ाकर उनके लिए सहायता बढ़ा दी है जिससे यह 4 प्रतिशत बन गई है, परन्तु बजट में यह सहायता केवल फसल ऋणों के लिए ही है। हम लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं कि किसानों को 4 प्रतिशत दर से ब्याज दिया जाए। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में बने कृषक आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी, अतः यह प्रावधान अनियमित ढंग से लागू नहीं होना चाहिए। वित्तमंत्री को ब्याज की इस सहायता के प्रावधान को कृषि गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे उपकरणों की खरीद और अन्य माल के खरीदने पर भी लागू करना चाहिए। उन्हें इस प्रावधान का लाभ उन अधिक किसानों को भी पहुंचाना चाहिए, न कि यह लाभ केवल ऐसे किसानों को ही मिले जिन्हें आसानी से बैंकों आदि से भी ऋण मिल जाता है

श्री सिंह ने यह भी कहा कि जब भारत के कृषि क्षेत्र को सरकार की सहायता की कहीं अधिक आवश्यकता है तो उसे अपनी बजट सहायता और आवंटन को उदार बनाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र पर विपरीत पड़ने वाले प्रभावों का समाधान किया जा सके। श्री सिंह ने बजट प्रस्तावों में सब्सिडी में लाभार्थियों को सीधे ''कैश ट्रांसफर'' प्रावधान का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सुपुर्दगी तंत्र मजबूत होगा और सामाजिक कल्याण योजनाओं में इस धनराशि का दुरूपयोग रूकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के प्रत्येक किसान के नाम खाता खोलना सुनिश्चित करे ताकि उस खाते में सब्सिडी स्थानांतरित हो सके और इसमें वह सब्सिडी भी शामिल रहे जो किसानों को बिजली उपयोग के लिए मिलती है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि यदि सरकार कर छूट को बढ़ाकर 2,40,000 रूपए कर देती तो इससे आम आदमी को मदद मिलती। परन्तु सरकार ने इसे बढ़ाकर केवल 1,80,000 रूपए किया है जो इस देश के करदाताओं के लिए नाममात्र ही है। आज के मुद्रास्फीति वाले वातावरण में जब यह दोहरे अंक तक जा पहुंची है तो आम आदमी बुरी तरह से इसके दबाव में कुचला गया जिससे यह नाम मात्र की बढ़ोतरी बेकार सिद्ध हुई है।■

रेल बजट मात्र लोकलुभावन-व्यावहारिकता और आधुनिकीकरण से कोसों दूर : वेंकैया नायडू

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा राज्यसभा में रेल बजट पर दिए गए भाषण का संपादित अंश

वर्तमान बजट लोक लुभावन बजट है जिसमें नये और व्यावहारिक विचार समाहित नहीं है। विस्तार और आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया है। अनेक मुख्यमंत्री बजट से नाखुश है क्योंकि उनके राज्यों के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया है। रेलवे के उद्देश्य को भुला

दिया गया है। रेलवे को वाणिज्यिक गतिविधियों के बजाए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। आर्थिक रूप से अव्यवहार्य संगठन सामाजिक दायित्व को वास्तविक ढंग से वहन नहीं कर सकता है। भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति पिछले वर्ष और खराब हो गयी है। पिछले दो बजटों में घोषित अनेक परियोजनाएं और रेलगाड़ियां आरंभ नहीं हो पाई हैं। अन्य राज्यों के साथ भी उदार व्यवहार किया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल स्थित अदरा में स्थापित विद्युत संयंत्र को अभी आरंभ किया जाना है। बिहार में मधेपुरा और मरहोरा स्थित परियोजनाएं अभी भी बोली की अवस्था में हैं। नई परियोजनाओं को घोषित करने का क्या फायदा है जब पुरानी परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। बकाया चालू परियोजनाओं के लिए 98 हजार करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। कार्यबल द्वारा कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है? पायलट परियोजनाओं की क्या स्थिति है? 'पीपीपी' माध्यम से पाँच रेल डिब्बा विनिर्माणकारी कारखानों की स्थापना का वायदा किया गया था। परंतु, केवल एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी कुछ स्टेशनों पर आधुनिक ट्राली उपलब्ध करायी जानी हैं। इस वर्ष भी यह घोषणा की गई है कि तीन क्षेत्रीय रेलवे में 'एसीडी' को लागू किया जायेगा। इस वर्ष 'टीपीडब्ल्यूएस' का कोई उल्लेख नहीं है। महिला वाहिनी का क्या हुआ, जिसका वायदा माननीय मंत्री द्वारा किया गया है? क्या सभी बारह कम्पनियों को तैनात कर दिया गया है।

गत वर्ष घोषित कई नई रेल परियोजनाओं को आरंभ नहीं किया गया है। योजना आयोग नकारात्मक रवैया अपना रहा है। बजट 2010 की कुछ घोषणाओं का अनुमोदन अभी योजना आयोग द्वारा नहीं किया गया है। नालगोंडा–मछेरला खण्ड के लिए गत वर्ष 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे परंतु एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। आपने अपने 'विजन स्टेटमेंट' में लक्ष्य की जो रूपरेखा पेश की है उसे बजट में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया 127 है। रेलवे को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 'विजन 2020' में अगले दस वर्षों में 25 हजार किलोमीटर नई रेल लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका अर्थ प्रति वर्ष 2500 किलोमीटर हुआ। परंतु आंकड़े इसके नजदीक नहीं है। अब तक 'पीपीपी' मॉडल के संबंध में क्या प्रगति हुई है? योजना आयोग ने निजी निवेश में कटौती की है। रेलवे में 'पीपीपी' मॉडल पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। रेलवे अपने 'विजन' के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रसर नहीं हो पाया है। गत वर्ष के एक हजार किलोमीटर के लक्ष्य में से केवल 700 किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। वित्तीय बाधांए विद्यमान हैं। आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण आदि के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके हैं। क्या एक निष्पादन पत्र प्रकाशित किया जायेगा? ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त संसाधन कैसे जुटाएं जायेंगे? आप अधिकांशतः सकल बजटीय सहायता पर निर्भर कर रहे हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान रेलवे प्रक्षेपित परिव्यय खर्च नहीं कर पाया

था। बजट में इस संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रचालनीय लागत में वृद्धि हुई है। 2010–2011 के संशोधित बजट प्राक्कलनों में लेखाओं के तीन महत्वपूर्ण शीर्षों में कटौती की गई है। लाभांश में भी कटौती की गई है। विकास निधि शीर्ष में कटौती की गई है। माननीय रेल मंत्री को प्रचालनीय अनुपात संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्षमता विस्तार का क्या हुआ? सेवा रहित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाजार और उद्योग ने बजट का स्वागत नहीं किया है। बारहवीं योजना तक 251 नये सर्वेक्षणों को स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा की उपेक्षा की गई है। रेलवे सुरक्षा निधि के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। 'राजग' शासन में रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ किया गया था। रेल पुलों की जीर्ण अवस्था के कारण अधिकांश रेल दुर्घटनाएं घटित होती हैं। सुरक्षा के संबंध में काफी काम किया जाना है। खन्ना आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का क्या हुआ? रेल लाइन के नवीनीकरण के संबंध में रेलवे ने उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। इस वर्ष केवल 330 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 2011–12 में दोहरीकरण और आमान परिवर्तन का लक्ष्य अवास्तविक है। समर्पित फ्रेट गलियारे को 2016 तक टाल दिया गया है। हमारे स्टेशनों पर भीड़–भाड़ रहती है, खाना खराब होता है और स्वच्छता संबंधी मानदण्ड संतोषजनक नहीं हैं। ग्रीन टायलेट का क्या हुआ? मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री देश के सभी रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन बना दे।

अब मैं विश्व स्तरीय स्टेशनों के बारे में बोलना चाहता हूं। मंत्री जी ने दावा किया है कि उनकी ऊंची लागत के चलते अन्य विकल्प खोजे जा रहे हैं। अब आप कहती हैं कि यह व्यवहार्य नहीं है। मैं फिर से श्वेत पत्र के बारे में बोलना चाहता हूं। रेलवे द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। श्वेत पत्र का उद्देश्य लोगों को स्थिति की वास्तविकता और गंभीरता से अवगत कराना है और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। अन्यथा श्वेत पत्र एक बेकार की प्रक्रिया बन जाएगा जहां श्वेत पत्र केवल प्रस्तुत किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। श्वेत पत्र मात्र एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा।

रेलवे के समक्ष अपने नेटवर्क क्षमता में विस्तार सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। रेल परिवहन की बाजार में हिस्सेदारी काफी कम हो गई है। यह एक चुनौती है। अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से स्टेशनों और शौचालयों की साफ–सफाई, सुरक्षित पेय जल को उपलब्ध कराने, सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान देने का आग्रह करूंगा। एक रेलगाड़ी का अपहरण हुआ था। यह बहुत ही हैरानी वाली बात है। श्वेत पत्र और दृष्टि पत्र 2020 रेलवे के भविष्य के लिए दो मार्गनिर्देशी दस्तावेज हैं और इनके आधार पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए रेलवे की अर्थव्यवस्था को नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए। हरेक की राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह कोई सामान्य भाषण या राजनीतिक भाषण नहीं है। मैं केवल आशा करता हूं कि मंत्री जी और उनके अधिकारी उस पर कार्रवाई भी करेंगे।■

आन्ध्र प्रदेश की सड़क दुर्घटना में वनम झांसी का निधन भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की

Hkkजपा आन्ध्र प्रदेश की वरिष्ठ नेता श्रीमती वनम झांसी रानी का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यह दुर्घटना महबूबनगर में अमंगल मण्डल के कड़ताल के पास हुई जब वह अपने गांव अचमपेटा से लौट रही थीं। उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया। वे राज्य पार्टी की उपाध्यक्ष, पार्टी सचिव और राज्य में भारतीय जनता महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही। वह 1985 से भाजपा में सक्रिय रूप से काम करती रहीं। इस समय वह भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य थी। उनके परिवार में पति और दो पुत्र हैं। उनका बड़ा बेटा चैन्नई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई तथा छोटा बेटा राहुल इंटरमीडिएट के दूसरे वर्ष में अध्ययन कर रहा है। ■

निर्वाचन आयोग के चयन में विपक्ष को भी सहभागी बनाया जाए

&ykyÑ".k vkMok.kh

bस देश में आखिर हो क्या रहा है (What the hell is going on in this country) - यह उत्तेजित टिप्पणी गत् सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने की जिसमें कथित कालेधन के अपराधी हसन अली खान जैसों के विरुध्द कानूनी कारवाई करने में सरकारी गंभीरता के अभाव के प्रति उसकी नाराजगी झलकती थी। सर्वोच्च न्यायालय राम जेठमलानी, सुभाष कश्यप और केपीएस गिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और एस. एस. निज्झर की पीठ ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि वह इस मामले को कर चोरी का मामला मानकर और विदेशों में रखे अवैध धन के स्रोत का पता लगाने में असफल रही तो उसे कालेधन सम्बंधी जांचों की मॉनिटरिंग करने को बाध्य होना पड़ेगा। पीठ ने सोलिसीटर जनरल सुब्रमण्यम से आगे पूछा कि जांच के लिए हसन अली को क्यों नहीं हिरासत में लिया गया और क्या सरकार न्यायालय की देखरेख में, हिरासत में पूछताछ करना चाहेगी।

'हो क्या रहा है' (What the hell!) ऐसा वाक्य सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से सामान्य रुप से अपेक्षित नहीं है। लेकिन इन दिनों सरकार का व्यवहार ऐसा असामान्य है कि यदि आप देश के किसी भी भाग में चले जाएं और वहां सुनी जाने वाली भाषा को सुने तो यह सरकार के कामकाज पर अत्यंत हताशा के सिवाय कुछ नहीं है। मीडिया में भी टिप्पणियां इससे भिन्न नहीं है।

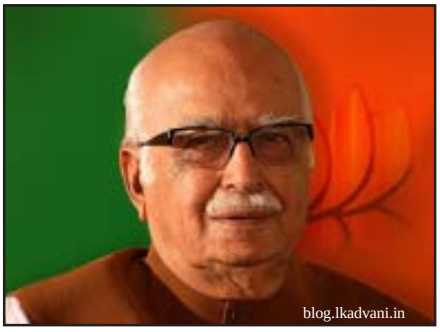

उदाहरण के लिए इस शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद हेतु पी.जे. थॉमस की नियुक्ति को निरस्त करने पर राजधानी के एक अग्रणी दैनिक ने यह शीर्षक दिया है।

'सर्वोच्च न्यायालय ने लाल झण्डी दिखाई लेकिन सरकार की आंखे बंद है।'

अनेक महीनों से, देश के प्रत्येक कोनों में यदि कोई एक शब्द गूंज रहा है तो वह है 'भ्रष्टाचार'।

स्वतंत्र भारत में सन् 1952 के पहले आम चुनावों से सन–2009 तक के पंद्रह आम चुनावों में सक्रिय रुप से भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। और इनमें से अधिकांश में विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने का प्रयास किया। परन्तु वास्तव में केवल एक बार राष्ट्रीय स्तर पर वे सफल हो सके, और वह सन् 1989 में जब बोफोर्स तोप मुद्दे पर समूचे विपक्ष ने लोकसभा की अपनी सीटों से त्यागपत्र देकर अपने संसदीय विरोध को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इस केस में, भ्रष्टाचार के विरुध्द विद्रोह न केवल विपक्षी नेताओं ने किया अपितु कांग्रेस पार्टी के भीतर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी किया।

इसलिए, गत् सप्ताह अपने एक साक्षात्कार (इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 4 मार्च, 2011) में मैने यह टिप्पणी की कि कांग्रेस को अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि आज उनके दल में कोई वी0पी0 सिंह नहीं है।

यद्यपि यह राष्ट्र का सौभाग्य है कि आज एक सर्वोच्च न्यायालय है जो अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति पूर्णतया कर्तव्यनिष्ठ है। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने1998 में पहली बार विनीत नारायण केस में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, एस.पी. भरूचा और एस.सी. सेन द्वारा दिये गये ऐतिहासिक निर्णय में किया था।

इस निर्णय के प्रभाव से केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक निकाय बना और उसे सी.बी.आई. के कामकाज की जांच के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्णय के चलते मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो तब तक सरकार के कार्यक्षेत्राधिकार में थी, को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता की कमेटी के तहत कर दी गई।

मुझे पता चला कि सी.वी.सी. के लिए पी.जे. थॉमस के चयन पर सर्वोच्च न्यायालय की अप्रसन्नता को समझकर सरकार के कुछ लोगों ने प्रयास किया कि थॉमस स्वयं पद छोड़ दें। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। नई दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्रों में यह कहा जा रहा है कि एक वरिष्ठ मंत्री

...शेष पृष्ठ 30 पर

तीन सौ लाख करोड़ काला धन कभी वापिस नहीं आयेगा यदि...

& 'kkUrk dqekj

fi छले कुछ वर्षों से विश्वभर में भ्रष्टाचार पर चिन्ता जताई जा रही थी। राष्ट्रसंघ तथा विश्व के अन्य कई देशों के संगठन भ्रष्टाचार रोकने के लिए चर्चा करते रहे और कई प्रकार की योजनाएं बनाते रहे। कुछ देशों में विकास हुआ। ऐश्वर्य बढ़ा। उसके साथ ही उन देशों के कुछ लालची और भ्रष्ट लोगों ने भ्रष्टाचार द्वारा धन इकट्ठा करना शुरू किया। जब वे लोग अपने ही देश में उस धन को संभाल कर नहीं रख सके तो दूसरे देशों के बैंकों में गुप्त खातों में धन रखना शुरू किया गया। कुछ देशों में गुप्त खातों में इस प्रकार का धन रखना शुरू किया गया। कुछ देशों में गुप्त खातों में इस प्रकार का धन रखना ही एक उद्योग बन गया। उन देशों को 'कर स्वर्ग' कहा जाने लगा जहां कर छुपाने के लिए धन जमा कराया जा सकता है। वास्तव में केवल कर बचाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार व अपराध से कमाया धन छिपाने के वे अड्डे बन गये। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। परन्तु जब विश्व के सम्पन्न देशों अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन और जापान को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा तो वे इस धन की तरफ भी ध्यान देने लगे। आर्थिक मंदी ने कुछ देशों की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। उस स्थिति में विदेशी बैंकों में अपने देश के जमा धन के संबंध में विशेष चिन्ता होने लगी।

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण काम राष्ट्रसंघ द्वारा किया गया। दो वर्षों के विचार–विमर्श के बाद 2003 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक महत्वपूर्ण संकल्प (United Nation Convention Against Corruption) पास हुआ। 148 देशों ने चर्चा में भाग लिया। लगभग 135 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये और इस समय तक 126 देश उसकी पुष्टि करके दूसरे देशों में जमा अपने धन को वापिस लेने की कार्यवाही कर रहे हैं।

विश्व में इसी प्रकार के और कई संगठन OECD, G-20, G-8 and FATF बने हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। विश्व के 30 प्रमुख देशों में एक संगठन कैरिन (CARIN) नाम से बनाया है जिसका उद्‌देश्य इन देशों के लोगों द्वारा विदेशों में जमा धन को वापिस लाना है। राष्ट्रसंघ और विश्व बैंक के सहयोग से एक संगठन स्टार (stolen Assett Recovery) बना है। जिसका उद्देश्य ही ऐसे धन का पता लगाना और मूल देश को वापिस दिलाना है।

fo'o esa blh izdkj dh vkSj dbZ laxBu **OECD, G-20, G-8 and FATF** cus gSa tks bl fn'kk esa dke dj jgs gSaA fo'o ds 30 izeq[k ns'kksa esa ,d laxBu dSfju **(CARIN)** uke ls cuk;k gS ftldk mn~ns'; bu ns'kksa ds yksxksa }kjk fons'kksa esa tek /ku dks okfil ykuk gSA jk"Vªla?k vkSj fo'o cSad ds lg;ksx ls ,d laxBu LVkj **(stolen Assett Recovery)** cuk gSA ftldk mn~ns'; gh ,sls /ku dk irk yxkuk vkSj ewy ns'k dks okfil fnykuk gSA

इस प्रकार के असंख्य प्रयत्न विश्वभर के देशों में हो रहे हैं। परन्तु बहुत कम देशों को अपना धन वापिस लाने में सफलता प्राप्त हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकतर देशों का नेतृत्व भ्रष्ट है। धन लूटने वाले लोग चतुर और प्रभावशाली हैं तथा विश्वभर में इस समय 69 देश ऐसे हैं जहां के बैंक लूट का यह धन अपने गुप्त खातों में रखते हैं।

भारत से विदेशों में जमा कालेधन के संबंध में बहुत अधिक चर्चा हुई है। अब लगभग इस बात को सबने स्वीकार कर लिया है कि विदेशों में भारतीयों का धन जमा है। सारे अनुमानों के अनुसार यह धन कम से कम 300 लाख करोड़ रूपये हो सकता है। बिल्कुल ठीक सही आंकड़ा कोई भी हो सकता। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है इससे थोड़ा अधिक भी हो सकता है। पर भारतीय धन की इस लूट को अब सबने स्वीकार कर लिया है। लम्बे टाल–मटोल के बाद भारत सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है और अनमने मन से कुछ कार्यवाही भी शुरू की है।

इस सबके बाद भी मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि वर्तमान सरकार

इस दिशा में कुछ भी नहीं करेगी और यह धन कभी भी भारत में वापिस नहीं लाया जाएगा।

यह धन वापिस लाने के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी साधन राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव है। उसका सहारा लेकर कुछ देशों ने सार्थक कार्यवाही की है। इस प्रस्ताव के अनुसार सदस्य देशों पर ऐसे धन को वापिस करने की पूर्ण बाध्यता है। यह प्रस्ताव 2003 में पास हुआ। भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने पर टाल–मटोल की। विश्व के 135 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये लेकिन भारत ने तब भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किये। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रसंघ ने कई सम्मेलन बुलाये। मैक्सिको के सम्मेलन में भारत भी गया था। कई देशों ने हस्ताक्षर किये। मुझे पिछले वर्ष न्यूयार्क में भारतीय मिशन के अधिकारी ने बताया कि भारत द्वारा हस्ताक्षर करना भी तय था। पूरी तैयारी थी। पर अंतिम समय पर दिल्ली से निर्देश आया कि हस्ताक्षर मत करो। वह अधिकारी स्वयं वहां मौजूद था। आखिर जनमत के सामने विवश होकर राष्ट्रसंघ द्वारा हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2005 को भारत ने हस्ताक्षर किये। अन्तर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार केवल हस्ताक्षर करना काफी नहीं। जब तक देश इसकी पुष्टि नहीं करता इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। आज 6 वर्ष बीत गये भारत ने इस की पुष्टि नहीं की है।

जी–20 देशों की 2009 में बर्लिन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें जर्मनी और फ्रांस ने विदेशी बैंकों में गुप्त खातों का मामला बड़े जोर से उठाया परन्तु उस बैठक में भारत खामोश रहा। उसका समर्थन नहीं किया। जी–20 देशों की लन्दन में दूसरी बैठक में जब अमेरिका और इंग्लैंड ने फिर से इस मामले को उठाया तब भी भारत चुप रहा। उसके बाद जर्मन सरकार ने सभी देशों को लेकिन स्टाईन बैंक में गुप्त खातों की जानकारी देने का प्रस्ताव किया तो भारत ने उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। जब कुछ नामों की सूचना मिल ही गई तो उसे छिपा कर रखा। सर्वोच्च न्यायालय में जब नाम देने पड़े तो सार्वजनिक करने में सरकार टाल–मटोल करती रही।

कुछ वर्ष पूर्व पुणे के एक हसन अली पर छापे पड़े। कई विदेशी बैंक खातों का पता लगा। आय कर विभाग ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसके स्विट्जरलैण्ड तथा अन्य देशों के बैंक खातों में लगभग एक लाख करोड़ रूपये जमा हैं। सरकार ने जान–बूझकर इसे केवल टैक्स चोरी का मामला बना कर उसे 40 हजार करोड़ रूपए जमा करवाने का नोटिस दिया। एक जाली पासपोर्ट बनाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे छोड़ दिया गया। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उससे टैक्स वसूला जा रहा है। जब महाराष्ट्र विधानसभा में उसके कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं से संबंध होने के आरोप लगे और कहा गया कि उसके नाम से जमा यह धन कुछ बड़े नेताओं का है तो सारा मामला खटाई में डाल दिया गया। प्रश्न टैक्स चोरी का नहीं। यह एक लाख करोड़ रूपये कहां से आया? किस का है? और किस तरीके से विदेशी बैंकों में चला गया? यह एक भयंकर अपराध है। सरकार ने इस अपराध को अपराध नहीं माना केवल टैक्स चोरी का मामला कहा और उसमें से एक नया पैसा भी वसूला नहीं गया। आज भी यह अपराधी खुले आम घूम रहा है। सरकार पूरी बेशर्मी के साथ उसे बचा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से उस संबंध में पूछा है। न्यायालय ने भी उसके पासपोर्ट जब्त करने का सुझाव दिया है। उसको इस प्रकार बचाने के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि उसके नाम जमा धन कुछ बड़े नेताओं का है। एक घोड़ा अस्तबल चलाने वाला इतना धनवान हो भी नहीं सकता।

बोफोर्स घोटाले में दलाली लेने का मामला सिद्ध हो गया है। क्वात्रोच्ची द्वारा विदेशी बैंक खातों का आरोप भी सिद्ध हो चुका है। सरकार ने उसे बचाने की पूरी तरह से कोशिश ही नहीं की उसे बचा भी लिया। बोफोर्स मामले पर सरकार तो बदली पर दलाली का धन विदेशी गुप्त खातों से वापिस नहीं आया।

बोफोर्स घोटाले में दलाली लेने का मामला सिद्ध हो गया है। क्वात्रोच्ची द्वारा विदेशी बैंक खातों का आरोप भी सिद्ध हो चुका है। सरकार ने उसे बचाने की पूरी तरह से कोशिश ही नहीं की उसे बचा भी लिया। बोफोर्स मामले पर सरकार तो बदली पर दलाली का धन विदेशी गुप्त खातों से वापिस नहीं आया।

जब से इस विषय पर भारत में गंभीर चर्चा होनी लगी है ऐसे लोगों ने अपने धन को अन्य देशों में जमा करवाना शुरू कर दिया है। यह लोग पढ़े–लिखे, चतुर और बहुत प्रभावशाली है। स्विट्जरलैण्ड से बहुत से लोगों ने अपना धन निकाल कर कुछ अन्य देशों में जमा करवा दिया है। भारत सरकार भ्रष्ट लोगों को हर तरफ से बचाने की कोशिश कर रही है। और धन लूटने वाले ये लोग अपने प्रभाव का प्रयोग

...शेष पृष्ठ 30 पर

तमिल मछुआरों की नृशंस हत्याएं बंद हों : गडकरी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा विगत में श्रीलंका नौसेना द्वारा 500 से अधिक निर्दोष तमिल मछुआरों की नृशंस हत्या के बारे मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत के संबंध में 04 मार्च 2011 को जारी विज्ञप्ति जिसमें तमिल मछुआरों, पांडियन ओर जयकुमार की कमशः 12 और 22 जनवरी 2011 को की गई कथित नृशंस हत्याएं भी शामिल हैं।

HKK रत और श्रीलंका के बीच समुद्री पानी गत 3 दशकों में निर्दोष तमिल मछुआरों के खून से लाल हो गया है। श्रीलंका नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों की निर्दयतापूर्ण और नृशंस तरीके से हत्या की गई तथा वास्तव में उन्हें यातना देकर मारा गया। दुर्भाग्यवश, यह ऐसा नियमित रूप से हो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दोष तमिल मछुआरों के खून और जीवन का कोई मोल नहीं रहा है। शिकायत में भाजपा अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यह पता चला है कि गत तीन दशकों में श्रीलंका नौसेना द्वारा 500 से अधिक मछुआरों की हत्या की गई है तथा हजारों को यातना दी गई। उन्हें तंग किया गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इन निःसहाय मछुआरों द्वारा पकडा गया सामान प्रायः जब्त कर लिया जाता है और उनकी नौकाओं एवं जालों को नष्ट कर दिया गया। अनेक मछुआरों को गिरफ्तार कर अवैध रूप से नजरबन्द किया गया और उनमें से अनेक अभी भी श्रीलंका की जेलों मे अमानवीय स्थितियों में अपना जीवन काट रहे हैं। इस प्रकार के आक्रमण और हत्याएं लगभग 3 दशकों से निरन्तर जारी है। वास्तव में ये हमले गत कुछ वर्षों मे काफी बढ गयें है। निर्दोष मछुआरों की नृशंस हत्याओं की दो घटनाओं का हाल ही में पता चला है जिनमे तमिल मछुआरों पांडियन और जयकुमार की कमशः 12 और 22 जनवरी 2011 को की गई नृशंस हत्याएं भी शामिल है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल चेयरमैन जस्टिस श्री के. जी बालाकृष्णन से मिला तथा देश के दक्षिणी भाग में निर्दोष मछुआरों के मानव आधिकारों के हनन के बारे में एक शिकायत उन्हे सौंपी। श्री पी. मुरलीधर राव, भाजपा राष्ट्रीय सचिव, श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद (राज्य सभा) श्री पोन. राधाकृष्ण, तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष और श्री सुधीर अग्रवाल मानवाधिकार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भी शिष्टमंडल में शामिल हुए।

उन नृशंस हत्याओं के अलावा श्रीलंका नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों के मानव आधिकारों के घोर उल्लंघन के अनेक मामले है। यातनापूर्ण और दुर्व्यवहार के कथित कुछ घटनाओं में मछुआरों को निर्वस्त्र कर होमोसक्सुअल कार्य करने के लिए मजबूर करना शामिल है।

भाजपा ने भारत सरकार के व्यवहार की आलोचना की और इस बात का उल्लेख किया गया कि श्रीलंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर इस प्रकार के अत्याचार के बावजूद भारत सरकार ने इन गरीब और निःसहाय लोगों की दुख तकलीफों के प्रति बेदर्दीपूर्ण रवैया अपनाया है।

अपनी शिकायत में भाजपा ने मांग की है कि केन्द्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि तमिल मछुआरों की नृशंस हत्याएं बन्द हो और उन्हें यातना दिया जाना भी बन्द हो और आयोग से अपील की कि वह पांडियन और जयकुमार की हाल ही में हुई हत्याओं की छानबीन कराये।

भाजपा ने मारे गये तमिल मछुआरों के परिवारों को उचित मुआवजा दिये जाने पर भी बल दिया और केन्द्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह उन तमिल मछुआरों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें जो अपनी जीविका कमाने के लिये दूर गहरे समुद्र में चले जाते है। भाजपा ने राज्य सरकार से यह भी मांग की कि यदि वह मछुआरों को अपनी जीविका कमाने के लिए उचित सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती तो उन मछुआरों को जीविका कमाने के वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिये।

शिष्टमंडल ने आयोग से अपील की कि वह राज्य सरकार से यह पूछे कि इनमें से अनेक मामलों में चार्जशीट क्यों नही दायर की गई अथवा किसी व्यक्ति पर मुकदमा क्यों नही चलाया गया और राज्य सरकार को इन मामलों की वर्तमान स्थिति बताने के बारे में भी कहा जाये। आयोग केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देष दे कि मछली पकडने के बारे में भारत–श्रीलंका संयुक्त कार्यकारी दल, जो अभी कार्य नही कर रहा है को पुनः सक्रिय बनाया जाये। शिष्टमंडल ने आयोग से कोई ऐसा आदेश जारी करने का भी आग्रह किया जिसे वह न्याय के हित मे उचित समझे और जिससे भारतीय नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। ■

'एग्रोव्हीजन' प्रदर्शनी देखने उमड़े हजारों किसान

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री श्री राधाकृष्ण विखेपाटिल की उपस्थिति में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नितिन गडकरी ने कहा, "सरकार उद्योगपतियों के कर्ज तो सहानुभूति से माफ करती है, लेकिन किसानों से दिए गए कर्ज से कई गुना ज्यादा वसूला जाता है। इसके बाद भी यदि कोई कसर बचती है तो उसका घर और ट्रैक्टर तक नीलाम कर दिया जाता है। कैसा दुर्भाग्य है कि उद्योगपतियों के करोड़ों रूपए माफ कर दिए जाते है वहीं कुछ हजार रूपयों के लिए किसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है।" श्री नितिन गडकरी ने यह बात नागपुर में आयोजित 'एग्रोव्हीजन' प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर कही। प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के कृषि मंत्री श्री राधाकृष्ण विखेपाटिल ने किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा नागपुर में आयोजित 'एग्रोव्हीजन' प्रदर्शनी में हजारों किसानों की भीड़ उमड़ रही है। इस प्रदर्शनी की संकल्पना और संयोजन स्वयं श्री नितिन गडकरी का है।

भारत में इस किस्म की प्रदर्शनी संभवतः पहली बार आयोजित की गई है। इसमें 6 विशाल शमियानों में कृषि संबंधित साहित्य तथा यंत्र उत्पादनों का प्रदर्शन किया गया है। इसे देखने के लिए विदर्भ के दूर–दराज क्षेत्रों से हजारों किसान नागपुर पहुंच रहे है। यह प्रदर्शनी 7 मार्च तक चलेगी, जिसमें कई लाख किसानों के आने की आशा है।

प्रदर्शनी के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। 'एग्रोव्हीजन' प्रदर्शनी से किसान अच्छे किस्मों के बीज तथा आधुनिक यंत्र का उपयोग कर अपनी कृषि पैदावार कई गुना बढ़ा सकते हैं और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में सहयोग हो सकेगा, ऐसा विश्वास भाजपाध्यक्ष श्री गडकरी ने व्यक्त किया।

इस प्रदर्शनी में महाराष्ट्र के एक प्रमुख निर्दलीय सांसद श्री राजू शेट्टी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कड़ी धूप में चल रही इस प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर हजारों किसान रेशीम बाग मैदान पर उपस्थित थे।■

सरकार और माओवादियों के बीच सांठगांठ : संतोष गंगवार

& gekj; loknnkrk }kjk

Hkkजपा की दो दिन की कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन बरहमपुर, उड़ीसा में 5 मार्च को हुआ जिसमें भाजपा नेताओं ने बताया कि बीजू जनता दल (बीजेडी) और नक्सलवादियों के बीच एक गुप्त समझौते के अन्तर्गत माओवादियों के खिलाफ ग्रीनहंट आप्रेशन रोक दिया गया।

भाजपा राष्ट्रीय सचिव और उड़ीसा में भाजपा प्रभारी श्री संतोष गंगवार ने कहा है कि माओवादियों द्वारा मलकानगिरी कलक्टर का अपहरण सत्ताधारी पार्टी बीजेडी और माओवादियों का सुनियोजित षड्यंत्र था। इसका उद्देश्य ''विधानसभा सत्र के दौरान मिड डे मील दाल घोटाले को दबाने का प्रयास था।'' उन्होंने बीजेडी सरकार से पूछा कि वह बताए कि कैसे कलक्टर बिना किसी सुरक्षा के माओवादी–ग्रस्त क्षेत्र में चले गए। यदि मुख्यमंत्री ने स्वयं ही एकतरफा माओवादियों के करार करने का फैसला ले लिया था तो उन्होंने क्यों केन्द्र से 'यूनीफाइड कमान' बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कम्युनिस्ट विद्रोहियों के सामने झुक गई।

भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष श्री जुएल ओराम ने कहा कि बीजेडी और माओवादी राज्य में एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने पुनः आरोप लगाया कि बीजेडी नेताओं के माओवादियों के साथ सम्बंध है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि मलकानगिरी जिले में 'अपहरण' का जो नाटक खेला गया, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? उन्होंने यह भी कहा कि जांच अधिकारी को कलक्टर विनीत कृष्णा से पूछताछ कर अपनी सुरक्षा के बारे में पूछना चाहिए जिसके कारण माओवादी हावी रहे। श्री जुएल ओराम ने कहा कि भाजपा पंचायती राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी सभी 147 विधानसभा और 21 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना रहेगा। भाजपा केन्द्र की यूपीए और राज्य की बीजेडी सरकारों का पर्दाफाश करते हुए लोगों से पार्टी को वोट देने की मांग करेगी। बीजेडी और कांग्रेस दोनों ही हमारे विरोधी है और कहा कि कांग्रेस चुपके–चुपके नवीन पटनायक सरकार का समर्थन कर रही है। श्री ओराम ने यह भी कहा कि राज्य में एक के बाद एक घोटाले उभर कर सामने आ रहे हैं। यहां तक कि सिंचाई विभाग में भी हजारों करोड़ों रूपए के घोटाले हो रहे हैं जबकि यह विभाग स्वयं नवीन पटनायक के पास है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के शासन में राज्य सरकार ने लोगों के लिए रत्ती भर काम नहीं किया है।

दो दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भाजपा विधानसभा तथा जमीनी स्तर दोनों पर ही राज्य सरकार का विरोध करेगी। भ्रष्टाचार और माओवादी मुद्दा लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और लगभग 200 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।■

पृष्ठ 24 का शेष...

ने उन्हें न झुकने की सलाह दी है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश वर्मा ने (4 मार्च, 2011–द इण्डियन एक्सप्रेस) में एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है 'क्यों मुझे कोई शक नहीं था कि न्यायालय इसे निरस्त करेगा'। श्री वर्मा लिखते हैं:

'केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका काम सार्वजनिक पद पर कार्यरत लोगों के कामकाज पर निगरानी रखना और कहीं भी पाए जाने वाले भ्रष्टाचार से निपटना है। भ्रष्टाचार से निपटने हेतु यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संदर्भ में, घटनाओं का यह मोड़ – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी जे थॉमस की नियुक्ति को निरस्त करना – वस्तुतः दुःखद है।'

मुख्य न्यायाधीश वर्मा द्वारा एक महत्वपूर्ण नियुक्ति जो तब तक सत्तारूढ़ दल का विशेषाधिकार माना जाता था, में विपक्ष की भागीदारी ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया। जब बाद में संसद ने सूचना के अधिकार का कानून बनाया तो उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी चयन समिति में शामिल किया गया। भारत दुनिया का सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र है। इसमें आश्चर्य नहीं कि संविधान का अनुच्छेद–324 जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, शक्तियों इत्यादि से सम्बन्धित है एक महत्वपूर्ण प्रावधान माना जाता है।

vuPNn&324 ½2½ dgrk g%

निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय–समय पर नियत करें, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस निमित्त बनायी गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि सर्वोच्च न्यायालय के1998 के निर्णय को सूचना के अधिकार के कानून में पालन किया गया, यदि इसे निर्वाचन आयोग के मामले में भी शामिल किया जाता है तो यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु उपयुक्त और उस दिशा में एक कदम होगा। अनुच्छेद–24 (2) की शब्दावली दर्शाती है कि इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी । यह एक साधारण संशोधन से किया जा सकता है। जितना शीघ्र यह किया जाए उतना ही अच्छा होगा।■

पृष्ठ 26 का शेष...

करके बदल–बदल कर विभिन्न देशों में अपना धन जमा करवा रहे हैं। कौन उनका पीछा करेगा। कौन उनको पकड़ेगा। यह चर्चा होती रहेगी। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह धन कभी भी वापिस नहीं आयेगा।

यह धन वापिस लाने का अब एक ही तरीका बचा है। भारत एक अत्यंत कठोर कानून बनाये। मैंने इस संबंध में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति, गोहाटी की बैठक में चर्चा की थी। बहुत से मित्रों ने इसका समर्थन किया पर कुछ ने कहा कि बहुत सख्त कानून बन जाएगा। मेरा यह कहना है कि देश का धन लूटने वाले और देश के करोड़ों लोगों को गरीबी में सिसकने पर मजबूर करने वाले इन भ्रष्टाचारियों के लिए सहानुभूति क्यों हो। और फिर जब कोई चारा ही नहीं बचा है तो फिर सख्त कानून क्यों न बनाया जाए। देश को दो टूक निर्णय करना होगा। या तो देश के इन लुटेरों को खुली छूट दी जाए या सख्त कानून बना कर यह धन भारत वापिस लाया जाए। इसके लिए मैं निम्न चार सूत्री कार्यवाही का सुझाव देता हूं।

1. भारत कानून बनाये कि किसी भी विदेशी बैंक में गैर–कानूनी तरीके से धन जमा करवाना गंभीर अपराध होगा और उस में कम से कम सजा 10 साल होगी।
2. कानून बनने के 6 मास के भीतर जो लोग स्वयं घोषणा कर देंगे उन्हें कानून से छूट दे दी जायेगी और उनका नाम गुप्त रखा जाए। उनका पूरा धन भारत आने पर उसका एक भाग उन्हें देकर बाकी सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा।
3. इस प्रकार के लोगों के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति को 25 लाख रूपये का इनाम दिया जाएगा और उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा।
4. सरकार के पास ऐसे बहुत से नाम हैं। कानून बनने के तुरन्त बाद उन पर कार्यवाही शुरू की जाए। यह अपराध गैर जमानती हो और उन सब लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

इस प्रकार के कानून से वे सब लोग तुरन्त सरकार के आगे झूकेगा। कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है। एक सख्त कानून के द्वारा ऐसे लुटेरों का इस सीमा तक पहुंचाना है कि वे विवश होकर धन वापिस लौटायें।

ये सब धनवान लोग हैं। ये न भगवान से डरते हैं न सरकार से डरते हैं। पर जेल में एक भी दिन नहीं काट पायेंगे। मुझे विश्वास है इस प्रकार के कानून के बाद ये सब लोग हाथ जोड़ कर सरकार के दरवाजे पर खड़े होंगे और सारा धन वापिस आयेगा। इस समय केवल 26 लाख करोड़ विदेशी ऋण है। वह एक दिन में चुका दिया जायेगा। गरीबी की रेखा से नीचे के सभी करोड़ों गरीब लोगों को उस धन की सहायता से सदियों के गरीबी के जंजाल से मुक्त किया जा सकेगा। वह दिन एक और आजादी का दिन होगा 15 अगस्त 1947 की तरह। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य हैं)